

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A NO. 102/2023

IN THE MATTER OF:

Neeraj Chhachhar & Anr.

...APPLICANTS

VERSUS

State of Uttarakhand & Ors.

...RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of DM HARIDWAR in compliance of order dated 22.08.2024.	3-9
2.	Annexure 1 A true copy of order dated 22.08.2024	10-12
3.	Annexure 2 A true copy of The Methodology adopted for demarking flood plain zone taking into account the 100 years Frequency line.	13-16
4.	Annexure 3 A true copy of Action taken for removal of encroachment from the flood plain zone.	17-71



3
जिलाधिकारी
1 हरिद्वार

RESPONDENTS
जिलाधिकारी
हरिद्वार

HARIDWAR Through

Date: 02/12/2024

Anjali

Anjali Rajput

(Panel Advocate, State of Uttarakhand)

Mob: +91-9811777368

Email: advanjali.rajput@gmail.com



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A NO. 102/2023

IN THE MATTER OF:

Neeraj Chhachhar & Anr.

...APPLICANTS

VERSUS

State of Uttarakhand & Ors.

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF DM HARIDWAR IN COMPLIANCE
OF ORDER DATED 22.08.2024.**

*SN-682
02/12/2024*

I, KARMENDRA SINGH S/O VIJAY BAHADUR SINGH aged about 53 years presently working as District Magistrate, Haridwar do hereby solemnly affirm and state as under.


1. THAT I have gone through the contents of this OA filed by the Applicant and understood the same.
2. THAT vide order dated 22.08.2024, this Hon'ble Tribunal had directed:-

"6. Hence, we require the District Magistrate, Haridwar to file a fresh report by way of affidavit disclosing the action taken in terms of 2016 Order and also answering the observations made above. In the report, District Magistrate, Haridwar will also disclose the action which has been taken for removal of the encroachment from the flood plain area."

A true copy of order dated 22.08.2024 is annexed herewith and marked as Annexure 1.

3. THAT the stand of the Answering Respondent is as follows:-

(A). सिंचाई विभाग हरिद्वार, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H) रुडकी एवं जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद द्वारा 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत चिन्हित किये जाने हेतु अपनाई गयी प्रक्रिया के



3 *जिलाधिकारी
हरिद्वार*

संबंध में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H) रूडकी द्वारा अपनी विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नवत् है:-

National Institute of Hydrology Roorkee (NIH) received work from the Irrigation Department, Uttarakhand with the objective of flood plain zoning of two stretches i.e. river reaches of Bhagirathi from Gnagori to Badethi Chungi (10 Km) and Ganga River from Chandipul to Kalasia (State Border) (50 Km).

The study focused on delineating floodplain boundaries based on channel configuration, geometry, bed form and profile characteristics of the identified stretch in Uttarkashi (downstream of Gangori, length 10 km) and a stretch (Haridwar to Laksar, length 50 km) of river Ganga together with their hydraulic characteristics and to identify areas/stretches where the stream flow is likely to have adverse impact on human interests during spells of high discharge caused by flood or flash flood. It also included flood plain zoning based on the modelling results for the characteristic discharges calculated for the said streams (flood frequencies of 5yr, 10yr, 30yr, 50yr, 100yr return period).

The methodology followed is as depicted in Figure 1:




Figure 1: Flow Chart of the Methodology



जिलाधिकारी
4 हरिद्वार

In the present study, numerous data inputs including historical discharge, satellite data, Digital Elevation Model (DEM) and cross-section (through field survey) data have been employed for the modelling. The details of the various data used are described below.

(a) Discharge data:-Discharge data for both the stretches have been collected from the Irrigation Department Uttarakhand. The data length for Haridwar is available from 1987 to 2014 (28 years) at Bhimgoda. Whereas, data for Uttarkashi from 1997 to 2013 (18 years) at the Maneri site was provided in hard copy, which was later on converted into digital form.

(b) Satellite Data:-In the present study, satellite data were required before and after the flood to understand the effect of the flood. In this region, the flood occurred in June 2013 hence the cloud-free satellite data for two dates i.e. pre and post-flood of 2013 (29/05/2013 and 16/09/2013) have been downloaded and used in this study.

(c) Channel Cross Section:-Channel cross-section information refers to geometry and feature information that is collected for natural stream channels at selected locations. This information is one of the key elements of hydraulic floodplain modelling as it is directly used to assess the flood-carrying capacity of a channel. The cross sections can be taken either by field survey or from the Digital Elevation Model (DEM).

The available DEMs are not at high resolution; therefore it was decided to get the cross-sections from the actual field survey. For carrying out the field survey, M/s Satya Pal Singh was entrusted with the task of preparation of cross sections through the field survey.

The fieldwork was carried out by the above agency. Scientists from NIH also visited both stretches, the Haridwar stretch in May and August 2016 and Uttarkashi stretch in August 2016. The field survey for the Haridwar stretch was carried out during May-June, 2016 while the field survey for the Uttarkashi stretch was carried out after the monsoon during September 2016 by the survey agency. Some of the cross-sections have been provided by the Irrigation Department Uttarakhand.

(d) SOFTWARE USED:-ArcMap software, version 9.3 a GIS software has been used in this study. ArcMap is the main component of ESRI's ArcGIS suite of geospatial processing software. Most of the GIS tasks were performed based on the functionality of the ArcMap extensions HEC-GeoRAS. These GIS extensions are used to prepare a consistent model input file for both HEC-RAS within the ArcMap software environment. In addition to that, HEC-GeoRAS can be used for the visualization of the hydraulic modelling




जिलाधिकारी
हरिद्वार

results in the form of inundation depth maps. ERDAS 8.7 was used for image processing activities on satellite images. Software developed at NIH has been used for flood frequency analysis. Finally, the flood inundation maps have been prepared in GIS.

(e) The flood frequency analysis:-Flood frequency analysis is important for river hydrology studies. It is essential to interpret the past record of flood events in order to evaluate future possibilities of such occurrences. The estimation of the frequencies of flood is essential for the quantitative assessment of the flood problem. The knowledge of the magnitude and probable frequency of such recurrence is also required for the proper design and location of hydraulic structures and for other allied studies. The gauge data which are random variables follow the law of statistical distribution. A large number of statistical distributions are available in literature. Among these the Normal, Log Normal, Gumbel, General Extreme Value, Pearson Type III, Log Pearson Type II, Generalized Pearson, Logistic, Generalized Logistic and Wakeby distributions have been commonly used in most of the flood frequency studies. Flood frequency analysis was performed in this study by selecting annual maximum discharge at Bhimgoda barrage site located in the catchment area. Two methods of statistical distribution i.e. Gumbel's extreme value distribution and Log Pearson type III distribution were attempted by selecting peak discharge data.

(f) FLOOD INUNDATION MAPPING:-In the present study satellite images of Landsat 7 sensor of 2013 ETM, which were acquired on May 29 and September 16 respectively, (with a map projection of UTM_zone 37, spheroid and datum WGS_84) have been used for the flood mapping and change detection processes. These images were stacked in the ERDAS IMAGINE 8.7 software and subset by the boundary of the study area. The objective of flood mapping is to identify the water-flooded versus non-water areas for both images. The detection of water features using multispectral imagery involves discriminating between water and other surface types. Surface water extent can be delineated by using the spectral reflectance differences.

(g) HYDRAULIC MODELLING:-The flood inundation mapping for this study was done with ArcGIS, HEC GeoRAS, and HEC-RAS. The methodology used in the present study consists of three steps: (i) Pre-processing of geometric data for HEC-RAS, using HEC GeoRAS; (ii) Hydraulic analysis in HEC-RAS; and (iii) Post-processing of HEC RAS results and floodplain mapping, using HEC-GeoRAS. Geometric input data for HEC-RAS models were created using HEC-GeoRAS software, which is an extension of



ArcGIS computer package for spatial analysis. HEC-RAS Model has been simulated for the flood values for 5, 10, 30, 50 and 100 years including 25 years return period. To run the flood simulation in HEC-RAS, the subcritical drainage regime has been chosen, under the Steady Flow Analysis menu, after which the "Compute" option has been clicked. The results have been displayed as an array of cross sections of the corresponding river, which extends its active surface, depending on the flow rate values. The verification can be made according to each cross-section, individually, and the oscillation of the water level can be observed on each section.

(h) Flood inundation mapping:-Flood inundation mapping results are achieved by applying the water surface elevations computed by RAS to the interpolation surface. The water surface elevation surface is converted to a grid and differenced from the ground surface to create a continuous depth surface. The result is positive where the water level is higher than the topographic level and negative where the terrain remains dry.


The flood depth map is an important output of the model showing the vulnerability of the area by indicating the water depths (levels). The result shows inconsistency in the flood water depths of the inundated area, which depends on geometry, topography and the hydraulic conditions of the river. Generally, water depth is higher along the main channel and lower at the floodplains. The depth of water can be calculated by subtracting grid maps of water surface and terrain.

Finally, flood inundation mapping maps for different flood frequencies have been prepared for the flow value corresponding to the return period.

After the timely completion of the report, NIH handed over the report along with data to the irrigation department. In the initial stage, the methodology was also briefed in the NGT at Delhi before the start of the work along with the representatives of the irrigation department.

NIH Methodology for Flood Plain Zoning and Flood Plain Zone defined in Gazette Notification 2016:-

As per the Gazette Notification 2016 "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years. In the study carried out by NIH, Roorkee for the Ganga reach from Haridwar to Laksar, floods of once in hundred year has been considered. (Annexure 2)




जिलाधिकारी
हरिद्वार

B. Demarcation as per River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order, 2016:- River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities order, 2016 में 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को लेकर चिन्हीकरण किए जाने का उल्लेख है। सिंचाई खण्ड, हरिद्वार एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H) रूडकी द्वारा 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को आधार मानकर उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत सीमांकन की कार्यवाही की गयी है। इस कारण गंगा आर्डर 2016 में प्राविधानित 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा के आधार पर पृथक से सीमांकन नहीं किया गया है।

C. Action taken for removal of encroachment from the flood plain zone:- दिनांक 31 अगस्त, 2024 एवं 11 सितम्बर, 2024 को प्रश्नगत वाद के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रकरण से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में राजस्व विभाग, सिंचाई खण्ड हरिद्वार, वन विभाग, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H) रूडकी, जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद, तहसील लक्सर तथा तहसील हरिद्वार के कार्मिकों की एक संयुक्त टीम बनाकर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की सीमा के अन्तर्गत आने वाले अतिक्रमणों एवं निर्माणों का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2024 को बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा के अन्दर आने वाले अतिक्रमणों एवं निर्माणों की सूची अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी। सूची में संयुक्त टीम द्वारा सरकारी व निजी भूमि पर 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा के अन्दर किये गये अतिक्रमणों/निर्माणों का विवरण अंकित किया गया है। जिसमें कई वर्ष पूर्व से बनी मूल आबादी एवं नये निर्माण सम्मिलित है। संयुक्त टीम द्वारा प्रेषित सर्वेक्षण/स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। **(Annexure 3)**

D. By THAT the instant affidavit is filed in compliance of the order dated 22.08.2024.



Haridwar

Date: 02/12/2024

RESPONDENTS

Through

जिलाधिकारी
हरिद्वार

Anjali Rajput

(Panel Advocate, State of Uttarakhand)

Mob: +91-9811777368**Email:** advanjali.rajput@gmail.com**VERIFICATION**

I, KARMENDRA SINGH S/O VIJAY BAHADUR SINGH aged about 53 years, presently serving as District Magistrate, Haridwar do hereby verify at Haridwar on 02 day of December 2024 that the contents of the instant affidavit are true to the best of my knowledge as derived from the official record and nothing has been concealed thereon.

HARIDWAR**DEPONENT**
 जिलाधिकारी
हरिद्वार

ATTESTED
 02/12/2024
 SURENDRA KUMAR
 NOTARY, ADVOCATE
 DISTT. COURT, HARIDWAR

IDENTIFIED BY
 Neeraj

Item No.07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 102/2023

Neeraj Chhachhar & Anr.

Versus

Applicant(s)

State of Uttarakhand & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 22.08.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: None


Respondent: Mr. Dhiraj Singh, District Magistrate, Haridwar (Through VC)
Mr. Neeraj, Mr. Rudra Paliwal, Mr. Sanjay Pal & Mr. Ankush Kapoor,
Advs. for the State of Uttarakhand (Through VC)
Mr. Akash Bhadana, Adv. for Project Proponents
Mr. Ankur Khandelwal & Ms. Sanya Panjwani, Advs. for R - 10
Mr. Gigi. C. George & Mr. Ishwer Singh, Advs. for NMCG
Mr. Mukesh Verma & Ms. Vatsala Tripathi, Advs. for UKPCB (Through VC)

ORDER

1. Tribunal is considering the grievance of construction of the residential apartments at Beliram Ashram, Kankhal, Haridwar and the consequential pollution in river Ganga.

2. District Magistrate, Haridwar has file the report by way of affidavit dates 17.08.2024 stating that demarcation of flood plain taking into account 25, 50 and 100 years flood frequency lines has been done and it has been marked in Shajra Map.

3. Counsel for the State does not dispute that the said exercise was done in terms of the provisions of Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 and it was not done in accordance with the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order,




 जिलाधिकारी
 हरिद्वार

2016. He has not disputed that Ganga Rejuvenation Order 2016 will prevail upon the State enactment of 2012.

4. During the course of hearing, Counsel or the District Magistrate, Haridwar present virtually could not disclose as to what methodology was adopted for demarking the flood plain zone taking into account the highest flood level of 100 years even as per the State enactment and the contour interval which was taken into account for that purpose.

5. Affidavit of the District Magistrate or the report of the Haridwar Roorkee Development Authority do not disclose as to what action has been taken till now for demarcation of flood plain in terms of the Rejuvenation Order of 2016. At this stage, it is worth noting that the District Magistrate is head of the District Committee under the Order of 2016 and he is required to ensure compliance of provisions of the said order.

6. Hence, we require the District Magistrate, Haridwar to file a fresh report by way of affidavit disclosing the action taken in terms of 2016 Order and also answering the observations made above. In the report, District Magistrate, Haridwar will also disclose the action which has been taken for removal of the encroachment from the flood plain area. Let the same be filed within four weeks.

7. List on 04.12.2024.



Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM


जिलाधिकारी
हरिद्वार

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 22, 2024
Original Application No. 102/2023
JG.




जिलाधिकारी
हरिद्वार

**NATIONAL INSTITUTE OF HYDROLOGY
ROORKEE**

National Institute of Hydrology Roorkee (NIH) received work from the Irrigation Department, Uttarakhand with the objective of flood plain zoning of two stretches i.e. river reaches of Bhagirathi from Gnagori to Badethi Chungi (10 Km) and Ganga River from Chandipul to Kalasia (State Border) (50 Km).

The study focused on delineating floodplain boundaries based on channel configuration, geometry, bed form and profile characteristics of the identified stretch in Uttarkashi (downstream of Gangori, length 10 km) and a stretch (Haridwar to Laksar, length 50 km) of river Ganga together with their hydraulic characteristics and to identify areas/stretches where the stream flow is likely to have adverse impact on human interests during spells of high discharge caused by flood or flash flood. It also included flood plain zoning based on the modelling results for the characteristic discharges calculated for the said streams (flood frequencies of 5yr, 10yr, 30yr, 50yr, 100yr return period). The methodology followed is as depicted in Figure 1:





Figure 1.1 Flow chart of the methodology



In the present study, numerous data inputs including historical discharge, satellite data, Digital Elevation Model (DEM) and cross-section (through field survey) data have been employed for the modelling. The details of the various data used are described below.

(a) Discharge data

Discharge data for both the stretches have been collected from the Irrigation Department Uttarakhand. The data length for Haridwar is available from 1987 to 2014 (28 years) at Bhimgoda. Whereas, data for Uttarkashi from 1997 to 2013 (18 years) at the Maneri site was provided in hard copy, which was later on converted into digital form.

(b) Satellite Data

In the present study, satellite data were required before and after the flood to understand the effect of the flood. In this region, the flood occurred in June 2013 hence the cloud-free satellite data for two dates i.e. pre and post-flood of 2013 (29/05/2013 and 16/09/2013) have been downloaded and used in this study.

(c) Channel Cross Section

Channel cross-section information refers to geometry and feature information that is collected for natural stream channels at selected locations. This information is one of the key elements of hydraulic floodplain modelling as it is directly used to assess the flood-carrying capacity of a channel. The cross sections can be taken either by field survey or from the Digital Elevation Model (DEM). The available DEMs are not at high resolution; therefore it was decided to get the cross-sections from the actual field survey. For carrying out the field survey, M/s Satya Pal Singh was entrusted with the task of preparation of cross sections through the field survey.

The fieldwork was carried out by the above agency. Scientists from NIH also visited both stretches, the Haridwar stretch in May and August 2016 and Uttarkashi stretch in August 2016. The field survey for the Haridwar stretch was carried out during May-June, 2016 while the field survey for the Uttarkashi stretch was carried out after the monsoon during September 2016 by the survey agency. Some of the cross-sections have been provided by the Irrigation Department Uttarakhand.

(d) SOFTWARE USED

ArcMap software, version 9.3 a GIS software has been used in this study. ArcMap is the main component of ESRI's ArcGIS suite of geospatial processing software. Most of the GIS tasks were performed based on the functionality of the ArcMap extensions HEC-GeoRAS. These GIS extensions are used to prepare a consistent model input file for both HEC-RAS within the ArcMap software environment. In addition to that, HEC-GeoRAS can be used for the visualization

NOTARY
URENTRA KUMAR
ADVOCATE
HARIDWAR (INDIA)
No. 02(05)/2001
OF UTTARAKHAND

3
जिलाधिकारी
बुधवार
14

Alm

of the hydraulic modelling results in the form of inundation depth maps. ERDAS 8.7 was used for image processing activities on satellite images. Software developed at NIH has been used for flood frequency analysis. Finally, the flood inundation maps have been prepared in GIS.

(e) The flood frequency analysis


Flood frequency analysis is important for river hydrology studies. It is essential to interpret the past record of flood events in order to evaluate future possibilities of such occurrences. The estimation of the frequencies of flood is essential for the quantitative assessment of the flood problem. The knowledge of the magnitude and probable frequency of such recurrence is also required for the proper design and location of hydraulic structures and for other allied studies. The gauge data which are random variables follow the law of statistical distribution. A large number of statistical distributions are available in literature. Among these the Normal, Log Normal, Gumbel, General Extreme Value, Pearson Type III, Log Pearson Type III, Generalized Pearson, Logistic, Generalized Logistic and Wakeby distributions have been commonly used in most of the flood frequency studies. Flood frequency analysis was performed in this study by selecting annual maximum discharge at Bhimgoda barrage site located in the catchment area. Two methods of statistical distribution i.e. Gumbel's extreme value distribution and Log Pearson type III distribution were attempted by selecting peak discharge data.

(f) FLOOD INUNDATION MAPPING

In the present study satellite images of Landsat 7 sensor of 2013 ETM, which were acquired on May 29 and September 16 respectively, (with a map projection of UTM_ zone 37, spheroid and datum WGS_ 84) have been used for the flood mapping and change detection processes. These images were stacked in the ERDAS IMAGINE 8.7 software and subset by the boundary of the study area. The objective of flood mapping is to identify the water-flooded versus non-water areas for both images. The detection of water features using multispectral imagery involves discriminating between water and other surface types. Surface water extent can be delineated by using the spectral reflectance differences.

(g) HYDRAULIC MODELLING

The flood inundation mapping for this study was done with ArcGIS, HEC-GeoRAS, and HEC-RAS. The methodology used in the present study consists of three steps: (i) Pre-processing of geometric data for HEC-RAS, using HEC-GeoRAS; (ii) Hydraulic analysis in HEC-RAS; and (iii) Post-processing of HEC-RAS results and floodplain mapping, using HEC-GeoRAS. Geometric input data for HEC-RAS models were created using HEC-GeoRAS software, which is an extension of ArcGIS computer package for spatial analysis. HEC-RAS Model has been simulated for the flood values for 5, 10, 30, 50 and 100 years including 25 years return period. To run the flood simulation in HEC-RAS, the subcritical



जिलाधिकारी
15 डिडार

(A)

drainage regime has been chosen, under the Steady Flow Analysis menu, after which the "Compute" option has been clicked. The results have been displayed as an array of cross sections of the corresponding river, which extends its active surface, depending on the flow rate values. The verification can be made according to each cross-section, individually, and the oscillation of the water level can be observed on each section.

(h) Flood inundation mapping

Flood inundation mapping results are achieved by applying the water surface elevations computed by RAS to the interpolation surface. The water surface elevation surface is converted to a grid and differenced from the ground surface to create a continuous depth surface. The result is positive where the water level is higher than the topographic level and negative where the terrain remains dry.

The flood depth map is an important output of the model showing the vulnerability of the area by indicating the water depths (levels). The result shows inconsistency in the flood water depths of the inundated area, which depends on geometry, topography and the hydraulic conditions of the river. Generally, water depth is higher along the main channel and lower at the floodplains. The depth of water can be calculated by subtracting grid maps of water surface and terrain.

Finally, flood inundation mapping maps for different flood frequencies have been prepared for the flow value corresponding to the return period.

After the timely completion of the report, NIH handed over the report along with data to the irrigation department. In the initial stage, the methodology was also briefed in the NGT at Delhi before the start of the work along with the representatives of the irrigation department.

NIH Methodology for Flood Plain Zoning and Flood Plain Zone defined in Gazette Notification 2016

As per the Gazette Notification 2016 "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years. In the study carried out by NIH, Roorkee for the Ganga reach from Haridwar to Laksar, floods of once in hundred year has been considered.



जिलाधिकारी
हरिद्वार 16

प्रभागाध्यक्ष
सतही जलविज्ञान प्रभाग
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की
Head
Surface Water Hydrology Division
National Institute of Hydrology, Roorkee



पत्रांक - 4214 / सि०ख०ह०/

दिनांक-28.11.2024

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
हरिद्वार।

विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्रामों के सजरे के प्रेषण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अन्तर्गत ग्रामों के सजरे, जिनमें 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखायें चिन्हित हैं, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. सिरसली
2. जगजीतपुर
3. सजनपुर पीली
4. श्यामपुर नौआबाद
5. कांगड़ी
6. गाजीवाली
7. देवपुरा मुस्तकम
8. मिस्सरपुर अहतमाल
9. मिस्सरपुर मुस्तकम
10. बिशनपुर मुस्तकम
11. बिशनपुरी झरड़ा अहतमाल
12. दूधलादयालवाला
13. भोगपुर-प्रथम
14. कटारपुर अलीपुर
15. भोगपुर-द्वितीय
16. देवपुरा अहतमाल (25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति लाईन के भीतर आने के कारण चिन्हित नहीं किये गये हैं)।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।



जिलाधिकारी
हरिद्वार

मा10 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या- 102/2023 नॉ. 277 ज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 में बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03, सितम्बर 2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लेखित टीमों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	क्र0	नाम	आवास की संख्या	आवास का प्रकार कच्चा/पक्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पश्चात	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मिस्सरपुर मुस्तहकम	1	हरे कृष्णा धाम द्वारा विजेता पंजवानी 98755535600	1	पक्का	-	2017 से	-
		2	कपिल अग्रवाल मकान	1	पक्का	-	2022	-
		3	सुनील धीमान मकान	1	पक्का	-	2024	-
		4	योगेश कुमार पुत्र लल्लू (गोदाम) 9336107743	1	पक्का	2006	-	-
		5	योगेश कुमार पुत्र लल्लू (गोदाम) 9336107743	1	पक्का	2010	-	-
		6	रति, टीटू, बीर सिंह पुत्रगण शोभाराम 8057426477	1	टीशैड	-	2023	-
		7	स्वभू सिद्धिेश्वर महोदय मन्दिर द्वारा विनोद गिरी	1	पक्का	2004	-	-
		8	स्वामी नारायण आश्रम द्वारा यज्ञपुरुष स्वामी 9924813100	1	पक्का	-	2021	-
		9	श्री शंकर मठ आश्रम द्वारा परमहंस बाबा धनखण्डी 7830276430	1	पक्का	-	2021	-
		10	दीपती यादव मकान 9958864521	1	पक्का	-	2022	-
		11	दिनेश कुमार, धनश्याम सलुश चन्द्र (स्थान देवता) 8218097032	1	पक्का	2015	-	-
2	मिस्सरपुर अह0	1	स्थान ग्राम देवता एवं भवन 8218535667	1	पक्का	-	2018-19	-
		2	देवेश्वर जन कल्याण समिति (साधना सदन आश्रम) नलकूप	1	पक्का	2004	-	-
		3	गुलाम रसूल	1	झोपडी	2014	-	-
		4	नुर मौहम्मद	1	झोपडी	2014	-	-
		5	मौ सफी	1	झोपडी	2014	-	-



योगेश कुमार
मिस्सरपुर अह0

सिंचाई विभाग
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	सिद्धसली	1	मन्दिर माता बाल कुमारी व स्थान देवता 9555964121	278	पक्का	100 वर्ष पूर्व से	—	—
		2	संवित गंगायन आश्रम मनोज त्यागी 7060220080	1	पक्का	2003 से	—	—
		3	अमित चन्दवानी व सुभाष चन्दवानी 9412074122	1	पक्का	2009 से	—	—
		4	स्वामी मुक्तानन्द आश्रम	1	पक्का	—	2022 से	—
		5	सन्त शिरोमणी रविदास आश्रम	1	पक्का	2013 से	—	—
4	कटारपुर अलीपुर	1	डा0 गम्भीर सिंह टयूबवैल 9412022857	1	पक्का	2008	—	—
		2	वंशज गौशाला निवासी कनखल	1	पक्का	—	2024	—
		3	निशांत चौहान पुत्र सुनील रिसोर्ट	1	पक्का	—	2024	—
		4	मौ यामीन	1	झोपडी	—	2020	—
		5	गुलाम रफी	1	झोपडी	—	2019	—
		6	निक्कू	1	झोपडी	—	2018	—
		7	हाजी राजू	1	झोपडी	—	2018	—
5	हादीपुर	1	Nil	—	—	—	—	—

रा.पुर नि.०
सुरेश कुमार
-डी.ए. - कटारपुर अलीपुर


महोदय, उपरोक्त सभी कांवेस निमाणे निजी धूम्र कर है,
A A E
सि.वा.ई. खण्ड हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार



मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या- 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 में बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03, सितम्बर 2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लेखित टीमों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	क्र0	नाम	आवास की संख्या	आवास का प्रकार कच्चा/पक्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पश्चात	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सजनपुर पीली	1	पूरण सिंह पुत्र धन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		2	मुरारी सिंह पुत्र भगवत सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		3	मुन्ना पाल पुत्र किशोरी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		4	गोपाल पुत्र उमराव सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		5	मदन सिंह पुत्र उमराव सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		6	कृपाल सिंह उमराव सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		7	रामनाथ पुत्र कुन्दन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		8	चन्द्रपाल पुत्र रूपरूप सिंह पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		9	गजेन्द्र पुत्र पूरन सिंह पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		10	योगेश कुमार पुत्र विजय सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		11	नरपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		12	भूपेन्द्र सिंह पुत्र चेताराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		13	संजय सिंह पुत्र चेताराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		14	विमला देवी पत्नी रमेश	2	पक्का	पूर्व	-	-
		15	मायाराम पुत्र कपूरी सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		16	धर्मपाल पुत्र चन्द्ररू	1	पक्का	पूर्व	-	-
		17	रामलाल पुत्र सोढल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		18	राजश पुत्र चेताराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		19	छांगा सिंह पुत्र बुद्ध सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		20	विरेन्द्र पुत्र बलराम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		21	अजय सिंह पुत्र बलराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		22	शिवराम पुत्र नैन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		23	ऋषिपाल पुत्र सलेख चन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-
		24	भोज्जा पाल सिंह पुत्र छज्जू सिंह पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		25	मायाराम पुत्र कपूरी सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		26	मनफूल पुत्र कलीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		27	हरीश पुत्र कलीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		28	बुद्धराम पुत्र सलेखू सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-



LS

Amal Kumar

A-E

2

जिलाधिकारी
हरिद्वार

280

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		धर्मवीर पुत्र प्रताप सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
30		बलकरण पुत्र प्रताप सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
31		बाबूराम पुत्र प्रताप सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
32		कलवा सिंह पुत्र लल्लू सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
33		रोहताश पुत्र सुखराम सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
34		श्याम सुन्दर पुत्र सुखराम सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
35		सुखराम पुत्र सुक्कन सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
36		जयपाल पुत्र मंगू राम		1	पक्का	पूर्व	—	—
37		खेमचन्द पुत्र छज्जन सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
38		जोगेन्द्र सिंह पुत्र कलीराम		1	पक्का	पूर्व	—	—
39		रामकुमार पुत्र कल्लू सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
40		जस्सू सिंह पुत्र कल्लू सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
41		सीमती देवी पत्नी स्व० धानी सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
42		विजय सिंह पुत्र सलेख चन्द		1	पक्का	पूर्व	—	—
43		राजपाल पुत्र लल्लू सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
44		पुष्पेन्द्र पुत्र ख्याली सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
45		रतीराम पुत्र नैन सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
46		योगेश पुत्र रतीराम		1	पक्का	पूर्व	—	—
47		अर्जुन सिंह पुत्र रतीराम		1	पक्का	पूर्व	—	—
48		अमर सिंह पुत्र लल्लू सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
49		जुगल सिंह पुत्र बल्ले सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
50		सतपाल सिंह पुत्र रामलाल		1	पक्का	पूर्व	—	—
51		बुद्धराम पुत्र सलेख चन्द		1	पक्का	पूर्व	—	—
52		मनोहर सिंह पुत्र रामलाल		1	पक्का	पूर्व	—	—
53		कृष्ण पाल पुत्र रामलाल		1	पक्का	पूर्व	—	—
54		शीला देवी पत्नी रामपाल		1	पक्का	पूर्व	—	—
55		उदल सिंह पुत्र सुरजी सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
56		दयाराम पुत्र रामचरण		1	पक्का	पूर्व	—	—
57		करण सिंह पुत्र रामचरण		1	पक्का	पूर्व	—	—
58		महावीर सिंह पुत्र रामचरण		1	पक्का	पूर्व	—	—
59		सोमपाल पुत्र दयाराम		1	पक्का	पूर्व	—	—
60		बाबूराम पुत्र प्रभू सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
61		राजेश पुत्र सुरजी सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
62		मदन सिंह पुत्र सलेख चन्द		1	पक्का	पूर्व	—	—
63		करन सिंह पुत्र धानी सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
64		अमर सिंह पुत्र सलेख चन्द		1	पक्का	पूर्व	—	—
65		राहुल कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
66		सलेन्द्र कुमार प्रधान पुत्र धर्मपाल सिंह		1	पक्का	पूर्व	—	—
67		सुरज सिंह पुत्र धर्मपाल		1	पक्का	पूर्व	—	—



ll

Amatam
Rn


Amatam
A-E

3

जिलाधिकारी
हरिद्वार

281

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	भानू प्रताप सिंह पुत्र धर्मपाल	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
69	आदेश कुमार पुत्र खेमचन्द	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
70	नरेश कुमार पुत्र खेमचन्द	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
71	इकबाल पुत्र बीरबल	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
72	देवराज पुत्र बीरबल	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
73	पृथ्वी सिंह पुत्र बीरबल	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
74	आनन्द पुत्र भुरे सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
75	मीना पत्नी सोनू	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
76	बाबूराम पुत्र बुद्ध सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
77	मायाराम पुत्र कपूरी सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
78	छांगा सिंह पुत्र बुद्ध सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
79	रोशन सिंह पुत्र शेर सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
80	दालचन्द पुत्र बीरबल	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
81	धर्मवीर पुत्र कल्लू सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
82	चमन सिंह पुत्र हरदेव	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
83	पिरोशना पत्नी गोपाल सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
84	कालूराम पुत्र बदलू	1	पक्का	2008	—	—	—	—
85	छोटू पुत्र बदलू	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
86	जयपाल पुत्र मंगू सिंह	1	कच्चा	पूर्व	—	—	—	—
87	कलवा सिंह पुत्र कृपा सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
88	पप्पू सिंह पुत्र केशरी	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
89	पान सिंह पुत्र सुरजी सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—	—	—
90	गोपाल सिंह पुत्र अमर सिंह	1	पक्का	—	पश्चात	—	—	—
91	होरी पुत्र गोविन्द	1	पक्का	—	पश्चात	—	—	—
92	नरेश पुत्र उमराव	1	पक्का	—	पश्चात	—	—	—
93	अम्बेडकर भवन	1	पक्का	—	2020	—	—	—
94	ऋषिपाल पुत्र सलेख चन्द	1	पक्का	—	2024	—	—	—
95	जगराम पुत्र रामलाल	1	पक्का	—	पश्चात	—	—	—
96	सतपाल सिंह पुत्र रामलाल	1	पक्का	—	पश्चात	—	—	—
97	पुष्पेन्द्र पुत्र ख्याली सिंह	2	पक्का	—	पश्चात	—	—	—
98	सतवीर पुत्र सलेख चन्द	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—
99	पिन्दू पुत्र खेमचन्द	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—
100	अर्जुन सिंह पुत्र रतीराम	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—
101	धर्मपाल पुत्र चन्द्ररू	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—
102	अमित पुत्र विजय	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—
103	सतपाल सिंह पुत्र रामलाल	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—
104	शीला देवी पत्नी रामपाल	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—
105	मनफूल पुत्र कलीराम	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—
106	विमला देवी पत्नी रमेश	1	झोपड़ी	—	2020	—	—	—



ll

Amal Kumar
RN

AE

3

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		107	विरेन्द्र पुत्र बलराम सिंह	282	1	झोपड़ी	—	2020	—
		108	मायाराम पुत्र कपूरी सिंह		1	झोपड़ी	—	2020	—
		109	बुद्धराम पुत्र सलेख चन्द		1	झोपड़ी	—	2020	—
		110	कृष्ण पाल पुत्र रामलाल		1	झोपड़ी	—	2020	—
		111	राजू पुत्र खेमचन्द		1	झोपड़ी	—	2020	—
		112	राहुल कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह		1	झोपड़ी	—	2020	—
		113	पिरोशना पत्नी गोपाल		1	झोपड़ी	—	2020	—
		114	दयाराम पुत्र रामचरण		1	झोपड़ी	—	2020	—
		115	राजपाल पुत्र लल्लू		1	झोपड़ी	—	2020	—
		116	कालू पुत्र बदलू		1	झोपड़ी	—	2020	—
		117	महावीर पुत्र रामचरण		1	झोपड़ी	—	2020	—
		118	अमर सिंह सलेखचन्द		1	झोपड़ी	—	2020	—
		119	करण पुत्र रामचरण		1	झोपड़ी	—	2020	—
		120	काले पुत्र कल्लू		1	झोपड़ी	—	2020	—
		121	जसराम पुत्र कल्लू		1	झोपड़ी	—	2020	—
		122	डिवाइन मेडिकल कॉलेज (हॉस्टल)		1	पक्का	—	2024	—
		123	गौशाला		1	पक्का	—	2020	—
		124	निशान्त मलिक		1	पक्का	—	2020	—

महोदय, उपरोक्त सभी निम्नलिखित निजी अर्थ पर है,

ls
 सुभाष जीप्पी
 रा. उ. नि. ०
 चोंगाड़ी

Chandram
 Ram

Amun
 A-E


3

जिलाधिकारी
 हरिद्वार



मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवदेन संख्या- 102/2013 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 में बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03, सितम्बर 2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लेखित टीमों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं	राजस्व ग्राम का नाम	क्र०	नाम	आवास की संख्या	आवास का प्रकार कच्चा/पक्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पश्चात	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्यामपुर नौआबाद	1	बिजेन्द्र पुत्र राम किशन	1	पक्का	पूर्व	-	-
		2	राम अवतार पुत्र सुखे सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		3	योगेश कुमार पुत्र सुखे सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		4	खेमराज पुत्र रामस्वरूप	1	पक्का	पूर्व	-	-
		5	सतीश पुत्र भोपाल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		6	जमना पुत्री चन्दर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		7	मेघराज पुत्र रामकिशन	1	पक्का	पूर्व	-	-
		8	फूल सिंह पुत्र घसीटा सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		9	छागा सिंह पुत्र इतवारी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		10	चोनी पुत्र काशीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		11	जयप्रकाश पुत्र महावीर	1	पक्का	पूर्व	-	-
		12	पुष्पा / मवासी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		13	मुन्नु पुत्र मवासी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		14	लक्ष्मण पुत्र मवासी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		15	रामकुमार पुत्र कलीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		16	हीरा सिंह पुत्र केसरी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		17	ज्ञान प्रकाश पुत्र केसरी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		18	राकेश कुमार पुत्र शुक्लचन्द मगन	1	पक्का	पूर्व	-	-
		19	सोमपाल सिंह पुत्र सुखे सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		20	सरोज पत्नी विजय	1	पक्का	पूर्व	-	-
		21	चन्द्रकला पत्नी ओमप्रकाश	1	पक्का	पूर्व	-	-
		22	चतर सैन पुत्र गरीबा	1	पक्का	पूर्व	-	-
		23	दीपक पुत्र फूल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		24	उर्मिला पत्नी धूम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		25	हुकुम सिंह पुत्र रूपचन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-
		26	केवल सिंह पुत्र रतिराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		27	नरोत्तम पुत्र हरिचन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-
		28	संजय पुत्र ओमी सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		29	मदन पुत्र ओमी सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		30	बाबूराम पुत्र ओमी सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A-F

[Handwritten signature]

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31	सोहन पुत्र कैलाश	284	पक्का	पूर्व	-	-
		32	सरिता पत्नी जुगल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		33	भोलेराम पुत्र सुनील कुमार	1	पक्का	पूर्व	-	-
		34	नर सिंह पुत्र श्याम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		35	पुष्पा पत्नी शिवचरण	1	पक्का	पूर्व	-	-
		36	नीलापथ पुत्र लल्लू	1	पक्का	पूर्व	-	-
		37	विपिन पुत्र नीलापथ	1	पक्का	पूर्व	-	-
		38	ऋषिराज पुत्र विजय सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		39	विरेन्द्र पुत्र प्रेमा सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		40	उत्तम सिंह पुत्र विरेन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-
		41	बाबूराम पुत्र हरिचन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-
		42	नरेश पुत्र रामकिशन	1	पक्का	पूर्व	-	-
		43	कुलदीप पुत्र आनन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-
		44	मोनू पुत्र आनन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-
		45	राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रूप सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		46	जितेन्द्र शर्मा पुत्र रमेश चन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-
		47	प्रवीण पुत्र घासीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		48	श्याम सिंह पुत्र मान सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		49	वेद प्रकाश पुत्र वीर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		50	भगवत सिंह पुत्र वीर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		51	प्रमोद पुत्र शशिराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		52	बलवीर पुत्र धन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		53	ईश्वर सिंह घासीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		54	नरेश पुत्र घासीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		55	श्यामी पुत्र घासीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		56	गोविन्द पुत्र घासीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		57	सुदीप पुत्र राम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		58	सुन्तराम पुत्र रजन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		59	सिंह पुत्र धूम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		60	प्रकाश पुत्र रामचन्दी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		61	नैन सिंह पुत्र रामचन्दी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		62	कविता पत्नी कुडवा सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		63	मेधा सिंह पुत्र हरिचन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-
		64	सुरेन्द्र पुत्र तुलसी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		65	यशपाल पुत्र घासीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		66	चन्द्रपाल पुत्र श्याम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		67	अमर सिंह पुत्र मुनना सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		68	राम अवतार पुत्र चांदमल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		69	शिव कुमार पुत्र चांदमल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		70	नरेन्द्र कुमार पुत्र चांदमल	1	पक्का	पूर्व	-	-



Lu

Subendra Kumar
KM

AB

3
जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71	शुभम पुत्र धूम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		72	बुद्ध सिंह पुत्र श्याम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		73	सोमपाल पुत्र रूपचन्द	1			-	-
		74	अक्षय पुत्र बलबन्त	1			-	-
		75	रधुनाथ पुत्र ओमी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		76	वेद प्रकाश पुत्र झडिया	1			-	-
		77	डिवाइन मेडिकल कॉलेज	1	पक्का	पूर्व	2020	-
		78	काशी कैलाश आश्रम, स्वामी सच्चिदानन्द शिष्य स्वामी आत्म विवेकानन्द निवासी परमहंस संगम आश्रम अवधपुरी कालोनी टडिया चकबीबी सारनाथ वाराणसी उ०प्र०	1	पक्का	पूर्व	-	-
		79	दुर्गा आश्रम, बाबा अमराईनाथ चेला गंगाईनाथ निवासी ग्राम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		80	नन्दीश्वर वाटिका मो० 9560361510	1	पक्का	पूर्व	2020	-
		81	शमशान घाट	1	पक्का	पूर्व	-	-
		82	चिन्मय धाम गौशाला	1	पक्का	पूर्व	-	-
		83	कमलकान्त	1	पक्का	पूर्व	2021	-
		84	राजीव शर्मा	1	पक्का	पूर्व	2020	-
		85	नरेन्द्र मोहन तायल	1	पक्का	2008		-
		86	जितेन्द्र तिवारी मो० 8006002001	1	पक्का	पूर्व		-
		87	दिल्ली वालो का मकान	1	कच्चा	पूर्व		-
		88	जयदेव शर्मा मो० 7404292530	1	पक्का	पूर्व		-
		89	बाबा पंचम गिरी आश्रम	1	पक्का	पूर्व		-
		90	शहीद भागूवाला	1	पक्का	पूर्व		-
		91	प्रदीप सड़ाना (टूयबवेल)	1	पक्का	पूर्व	2022	-
		92	गौशाला	1	पक्का	पूर्व	-	-
		93	मनोज मेहन्त, संजय मेहन्त (टीन शैड)	1	पक्का	पूर्व	2020	-
		94	छांगा पुत्र वनवारी (बांउन्डी)	1	पक्का	पूर्व	2024	-
		95	अलवर वाले बाबा का आश्रम, श्री श्याम वैकुण्ठ धाम, संस्थापक श्याम सुन्दर जी महाराज	1	पक्का	पूर्व	-	-
		96	अमात्रा रिसोर्ट	1	पक्का	पूर्व	-	-

285



सुभाष मेहता
डा. उ. वि.
काशी

Amratar

अद्य, उपरोक्त सभी निम्नलिखित निजी दस्तावेजों पर

अ. ए.

जिलाधिकारी
हरिद्वार

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवदेन संख्या- 102/2025-परिज. छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 में बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03, सितम्बर 2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लेखित टीमों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	क्र0	नाम	आवास की संख्या	आवास का प्रकार कच्चा/पक्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पश्चात	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कांगड़ी	1	दादा माई आश्रम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		2	निरंजन सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		3	दया पत्नी अमित चौधरी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		4	कुलदीप चौधरी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		5	महन्त जी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		6	रविन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-
		7	दिनेश पुत्र सेवा राम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		8	सोनू पुत्र माधो सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		9	सैमसंग पोल पुत्र गुडलिन गोपाल पोल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		10	निक्की पूरण	1	पक्का	पूर्व	-	-
		11	स्नेह बसेरा	1	पक्का	पूर्व	-	-
		12	माखा दिल्ली	1	पक्का	पूर्व	-	-
		13	यात्रीपुर सुन्दरी धाम भरत दूबे	1	पक्का	पूर्व	-	-
		14	माधवती आश्रम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		15	राम प्रकाश शर्मा	1	पक्का	पूर्व	-	-
		16	सानू चौहान पुत्र आशाराम चौहान	1	पक्का	पूर्व	-	-
		17	प्रमोद पाल पुत्र सोमदत्त	1	पक्का	पूर्व	-	-
		18	कंचन पत्नी रविन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-
		19	जगबहादूर सिंह पुत्र श्री सुखदेव	1	पक्का	पूर्व	-	-
		20	विनोद पत्नी श्री राजेन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-
		21	बाबू पुत्र रमेश	1	पक्का	पूर्व	-	-
		22	दुष्यन्त पुत्र किशन चन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-
		23	सोमबाला पत्नी रमेश ठाकूर	1	पक्का	पूर्व	-	-
		24	प्रमोद पाल पुत्र चदरु	1	पक्का	पूर्व	-	-
		25	सुरेश	1	पक्का	पूर्व	-	-
		26	शान्ति पत्नी पवन	1	पक्का	पूर्व	-	-
		27	प्रमोद पुत्र चदरु	1	पक्का	पूर्व	-	-
		28	प्रमोद पुत्र हरि सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		29	रेखा पत्नी नरेश	1	पक्का	पूर्व	-	-
		30	अनिल पुत्र बसन्त सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		31	गोविन्द सिंह पुत्र गौतम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-



ls

Amal Kumar

AE

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	ओम पुत्र लल्लू पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
33	शीला पत्नी विशाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
34	राजेश पुत्र गोपीचन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
35	रेखा पत्नी पुरुषोत्तम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
36	चमन लाल पुत्र रामचन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
37	गौरी शंकर पुत्र हरदयाल चाली	1	पक्का	पूर्व	-	-		
38	प्रदीप पुत्र सोमदत्त	1	पक्का	पूर्व	-	-		
39	मनोज पाल पुत्र कान्ता राम पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
40	कैलाश पुत्र शीशराम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
41	प्रेमवती पत्नी गोपाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
42	लाखन सिंह पुत्र रामरुवरूप पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
43	नीतू पत्नी राजेन्द्र पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
44	देवेन्द्र पुत्र रामचन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
45	विशू	1	पक्का	पूर्व	-	-		
46	प्रेमलता पत्नी बलवीर	1	पक्का	पूर्व	-	-		
47	जगवती पत्नी सत्यपाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
48	पुष्पा पत्नी प्रकाश चन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
49	राजेश पुत्र गोपीचन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
50	रविन्द्र व जोगेन्द्र पुत्रगण कोमल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
51	नन्दरानी पत्नी मायाराम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
52	बबली पत्नी नौहवार	1	पक्का	पूर्व	-	-		
53	सनोज पत्नी कान्ताराम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
54	मनोज पाल पुत्र कान्ता राम पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
55	सन्दीप पुत्र कान्ताराम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
56	प्रेमलता पत्नी बलवीर	1	पक्का	पूर्व	-	-		
57	मांगेराम पुत्र वेदप्रकाश	1	पक्का	पूर्व	-	-		
58	पुष्पा पत्नी प्रकाश	1	पक्का	पूर्व	-	-		
59	राखी पत्नी किशन पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
60	नागपाल पुत्र तेहलदास	1	पक्का	पूर्व	-	-		
61	रोहताश पुत्र शेर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
62	कोलू पुत्र जयप्रकाश	1	पक्का	पूर्व	-	-		
63	राजपाल पुत्र शेर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
64	चन्द्रपाल पुत्र शेर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
65	पप्पू पुत्र कदम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
66	नन्दू	1	पक्का	पूर्व	-	-		
67	सीता पत्नी हुकम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
68	नागपाल पुत्र तेहलदास	1	पक्का	पूर्व	-	-		
69	पवन पुत्र ओमप्रकाश	1	पक्का	पूर्व	-	-		
70	विजयपाल पुत्र पंचम	1	पक्का	पूर्व	-	-		



Handwritten signature


Handwritten signature
Rn

Handwritten signature
AE

Handwritten signature

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	फूल सिंह पुल दल्ले	1	पक्का	पूर्व	-	-		
72	सुभाष पुत्र बाल मुकद	1	पक्का	पूर्व	-	-		
73	यशपाल पुत्र राम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
74	सुखवीर पुत्र वीर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
75	सन्तराम पुत्र मनवा सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
76	रनजीत सिंह इन्द्रशाह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
77	स्वामी विवेकानन्द जूनियर हाई स्कूल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
78	शिव कुमार पुत्र शेर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
79	भगवती पत्नी शेर सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
80	गुड्डू पुत्र दिलीप सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
81	प्रताप सिंह बालक राम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
82	सिद्धस्त्रोत आश्रम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
83	सन्तराम वर्मा पुत्र शीशपाल	1	पक्का	2008	-	-		
84	धर्मवीर पुत्र होरी सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
85	नरेश पाल पुत्र डालचन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
86	बिरेन्द्र पुत्र डालचन्द	1	कच्चा	पूर्व	-	-		
87	सुमित्रा पत्नी प्रताप	1	पक्का	पूर्व	-	-		
88	सुखवीर पुत्र श्लोकचन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
89	नन्ही पत्नी जयपाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
90	रामचन्द पुत्र सुखा	1	पक्का	पूर्व	-	-		
91	प्रेमप्रकाश पुत्र गोपाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
92	धनश्याम पुत्र लक्ष्मण सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
93	प्रेम निवास आश्रम/देवेन्द्र तोमर पुत्र राज	1	पक्का	पूर्व	-	-		
94	गजेन्द्र व कृष्ण पुत्र वेगराम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
95	कैलाश पुत्र शीशराम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
96	नवीन पुत्र मदन पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
97	दीबू पुत्र नाथीराम	1	पक्का	पूर्व	-	-		
98	अरुण पुत्र गोविन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
99	सोनू पुत्र राज सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
100	रजनी देवी पत्नी मोहन	1	पक्का	पूर्व	-	-		
101	विक्रम पुत्र गोविन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
102	जय सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
103	प्रमोद पुत्र हरि सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
104	रेखा पत्नी नरेश	1	पक्का	पूर्व	-	-		
105	अनिल पुत्र बसन्त सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
106	समर पाल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
107	शिवधाम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
108	खाली जमीन	1	पक्का	पूर्व	-	-		
109	सुमेचन्द पुत्र त्रिलोक चन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		



te


Amabito

AE

2

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	भगवत प्रसाद	1	पक्का	पूर्व	-	-		
111	हरिचन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-		
112	चन्द्र प्रकाश पुत्र भगीरथ शर्मा	1	पक्का	पूर्व	-	-		
113	मन्जू पाल पुत्र राकेश पाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
114	ब्रहमपाल सिंह रामेश्वर प्रसाद	1	पक्का	पूर्व	-	-		
115	रवि श्रीवास्तव पुत्र स्व० मुन्ना श्रीवास्तव	1	पक्का	पूर्व	-	-		
116	मनोज कुमार पुत्र बैजनाथ गिरि	1	पक्का	पूर्व	-	-		
117	अनीता भट्ट	1	पक्का	पूर्व	-	-		
118	नरेन्द्र सिंह रावत पुत्र जसवन्त सिंह रावत	1	पक्का	पूर्व	-	-		
119	चम्पा जोशी पत्नी राजन प्रसाद सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
120	कैलाश पन्त पत्नी श्री गंगादत्त पन्त	1	पक्का	पूर्व	-	-		
121	दयाकृष्ण भाटा पुत्र गोविन्द बल्लभ	1	पक्का	पूर्व	-	-		
122	हरिश सिंह रावत	1	पक्का	पूर्व	-	-		
123	संदीप शर्मा पुत्र महक चन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-		
124	जगत सिंह रावत	1	पक्का	पूर्व	-	-		
125	आनन्द सिंह नेगी पुत्र हरिश नेगी	1	पक्का	पूर्व	-	-		
126	श्री पुत्र कुलदीप सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
127	पतराम श्रीपाल पुत्र चन्दन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
128	सुनीता देवी पत्नी श्री ऋषिपाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
129	मुनेश पत्नी नरेश शर्मा	1	पक्का	पूर्व	-	-		
130	अनिल पु रामकुमार	1	पक्का	पूर्व	-	-		
131	विमला नेगी पत्नी दिगपाल नेगी	1	पक्का	पूर्व	-	-		
132	देवेन्द्र जोशी पुत्र स्व० भजनराम जोशी	1	पक्का	पूर्व	-	-		
133	मुकेश पुत्र महेश चन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-		
134	कृष्ण नन्द जोशी पुत्र बिशन दत्त जोशी	1	पक्का	पूर्व	-	-		
135	भुवन भट्ट पुत्र प्रेम भट्ट	1	पक्का	पूर्व	-	-		
136	नन्द किशोर भट्ट पुत्र घनश्याम भट्ट	1	पक्का	पूर्व	-	-		
137	देवकी देवी पुत्र जनार्दन	1	पक्का	पूर्व	-	-		
138	लीला	1	पक्का	पूर्व	-	-		
139	दयाल सिंह गुंसाई पुत्र सदर सिंह गुंसाई	1	पक्का	पूर्व	-	-		
140	गोविन्द लाल	1	पक्का	पूर्व	-	-		
141	सन्जू कुमार पुत्र रामलखन प्रसाद	1	पक्का	पूर्व	-	-		
142	शान्ति देवी पत्नी मोहन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
143	निर्मला देवी पत्नी खजान सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-		
144	बसन्ती देवी पत्नी कुलदीप	1	पक्का	पूर्व	-	-		
145	चरण सिंह पुत्र लखीराम	1	पक्का	-	पश्चात	-		
146	डॉ. लचन्द पुत्र श्रवण	1	टीन शैड	-	पश्चात	-		
147	श्रीनाथ जी आश्रम/विकास नाथ	1	पक्का	-	पश्चात	-		
148	सुनीता देवी पत्नी बसन्त	1	पक्का	-	पश्चात	-		



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.
जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	विशन जुनेजा पुत्र बलराम	1	पक्का	-	पश्चात	-		
150	पूनम जुनेजा पुत्र पूरण जुनेजा	1	पक्का	-	पश्चात	-		
151	रणजीत सिंह पुत्र श्रीराम कृष्ण	1	पक्का	-	पश्चात	-		
152	शिलू पुत्र पराग	1	पक्का	-	पश्चात	-		
153	राजू पुत्र गोविन्द	1	पक्का	-	पश्चात	-		
154	पंकज पुत्र प्रताप	1	पक्का	-	पश्चात	-		
155	दीपक पुत्र नाथीराम	1	पक्का	-	पश्चात	-		
156	निर्मल पुत्र नाथीराम	1	पक्का	-	पश्चात	-		
157	प्रवीन पुत्र शेर सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-		
158	ललित मोहन भट्ट पुत्र ईश्वरी दत्त भट्ट	1	पक्का	-	पश्चात	-		
159	मुकेश पुत्र भैरव दत्त	1	पक्का	-	पश्चात	-		
160	देशराज पुत्र सिमरू	1	पक्का	-	पश्चात	-		
161	संजय शेखर कोठारी पुत्र कृष्णचन्द कोठारी	1	पक्का	-	पश्चात	-		
162	संजय पुत्र कृपाल	1	पक्का	-	पश्चात	-		
163	लीलाधर जोशी पुत्र चुडामणी जोशी	1	पक्का	-	पश्चात	-		
164	नरेश पुत्र कल्लू सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-		
165	अंकित पुत्र विजय पाल	1	पक्का	-	पश्चात	-		
166	गीता जोशी पत्नी मनोहर जोशी	1	पक्का	-	पश्चात	-		
167	अशोक पुत्र राम जीवन	1	पक्का	-	पश्चात	-		
168	सदानन्द	1	पक्का	-	पश्चात	-		
169	चन्द्र कुमार	1	पक्का	-	पश्चात	-		
170	महावीर पुत्र डीप्टी सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-		
171	गीता पत्नी महेश	1	पक्का	-	पश्चात	-		
172	भुवन चन्द्र रिखाडी	1	पक्का	-	पश्चात	-		
173	इसू अरोडा	1	पक्का	-	पश्चात	-		
174	यशोदा भारद्वाज पत्नी अनिल भारद्वाज	1	पक्का	-	पश्चात	-		
175	अजलू राय पुत्र अनन्त राय	1	पक्का	-	पश्चात	-		
176	रितिका पत्नी सोनू सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-		
177	प्रवीन पुत्र सुरेश पाल	1	पक्का	-	पश्चात	-		
178	सुमित पुत्र ऋषिपाल	1	पक्का	-	पश्चात	-		
179	महेश पुत्र राम नेरश	1	पक्का	-	पश्चात	-		
180	तेग सिंह रावत पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत	1	पक्का	-	पश्चात	-		
181	सोहन पुत्र हरि ओर	1	पक्का	-	पश्चात	-		
182	ममतेश पत्नी इन्दरपाल	1	पक्का	-	पश्चात	-		
183	मुनेश देवी पत्नी स्व० श्री नरेश कुमार	1	पक्का	-	पश्चात	-		
184	रवि पुत्र महेश	1	पक्का	-	पश्चात	-		
185	पंकज पुत्र महेश	1	पक्का	-	पश्चात	-		
186	पवन पुत्र बच्चन सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-		
187	रणजीत पुत्र बच्चन सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-		



be

Chandigarh
Rm

AE

3

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		188	शिवम पुत्र सुरेन्द्र	1	पक्का	-	पश्चात	-
		189	गुमान सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		190	त्रिलोक देवी पत्नी देवी दत्त जोशी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		191	शंकर पुत्र सुरेश प्रसाद	1	पक्का	-	पश्चात	-
		192	उमा देवी पत्नी श्री सदानन्द	1	पक्का	-	पश्चात	-
		193	राजेन्द्र	1	पक्का	-	पश्चात	-
		194	कुलदीप जोशी पुत्र केशव दत्त जोशी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		195	संजय गिरि	1	पक्का	-	पश्चात	-
		196	शान्ति देवी पत्नी मोहन सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		197	निर्मला पत्नी खजान सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		198	गोविन्द पुत्र सुरेन्द्रलाल	1	पक्का	-	पश्चात	-
		199	नीलम पत्नी ललित मोहन	1	पक्का	-	पश्चात	-
		200	लता देवी पत्नी राजेन्द्र	1	पक्का	-	पश्चात	-
		201	अजय कुमार	1	पक्का	-	पश्चात	-
		202	कुलदीप सिंह पुत्र दलीप सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-

प्रशोधन, उपरोक्त व्यक्ति, अश्री निर्माण निम्नी ग्राम पर है।

सुरेन्द्र कुमार
रा. इन्डिया
हरिद्वार

Amesh Kumar


AE

जिलाधिकारी
हरिद्वार



मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या- 102/2023 नीरम बाढ़ बनाव उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 में बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03, सितम्बर 2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लेखित टीमों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	राजस्व ग्राम का नाम	क्र०	नाम	आवास की संख्या	आवास का प्रकार कच्चा/पक्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पश्चात	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गाजीवाली	1	रजनी देवी पत्नी प्रेम सिंह	3	पक्का	पूर्व	-	-
		2	विजय पाल खाती पुत्र स्व० बचन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		3	संगीता देवा पत्नी मदन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		4	सम्पत्ति पत्नी बैसाखी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		5	गंगल सिंह पुत्र सूतन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		6	धर्म निवास पुत्र सूतन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		7	अनमोल पुत्र विजय सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		8	आश्रम, स्वामी यतिश्वरानन्द जी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		9	भारत भूषण शर्मा पुत्र देवराज शर्मा	1	पक्का	पूर्व	-	-
		10	गौरव शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा	1	पक्का	पूर्व	-	-
		11	महानन्द सरस्वती पुत्र देवानन्द सरस्वती	1	पक्का	पूर्व	-	-
		12	विवेक मिश्रा	1	पक्का	पूर्व	-	-
		13	आरती गिरी महाराज, आश्रम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		14	सुरेश कुमार पुत्र हरी सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		15	आर्य शर्मा पुत्र आर्यन शर्मा	2	पक्का	पूर्व	-	-
		16	भूमिका चावला पत्नी भरत ठाकुर	1	पक्का	पूर्व	-	-
		17	जगदीश सिंह पुत्र रण सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		18	छुम्मा देवी पत्नी दीवान सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		19	भगवती सिंह बिष्ट पुत्र नत्थू सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		20	ललिता देवी पत्नी रामदत्त	1	पक्का	पूर्व	-	-
		21	राधवन शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा	2	पक्का	पूर्व	-	-
		22	अतुल कुमार नाथ पुत्र श्री यमुनाथ	1	पक्का	पूर्व	-	-
		23	अशोक नवानी पुत्र ललिता प्रसाद नवानी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		24	योगानन्द फाउन्डेशन ट्रस्ट, गाजीवाली	1	पक्का	पूर्व	-	-
		25	श्री बालाजी धाम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		26	लीलाधर पुत्र इश्वरी दत्त	1	पक्का	पूर्व	-	-
		27	नायारण सिंह पुत्र देवशरण जी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		28	नरेश पुत्र कृपाल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		29	सतीश शर्मा पुत्र तारादत्त शर्मा	1	पक्का	पूर्व	-	-
		30	राजकुमार पुत्र हुकम चन्द	1	पक्का	पूर्व	-	-



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
A-E

Handwritten signature

जिलाधिकारी
हरिद्वार

293

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31	चन्द्र प्रकाश पुत्र मोहन	1	पक्का	पूर्व	-	-
		32	यशवन्त सिंह रावत पुत्र सोहन सिंह रावत	1	पक्का	पूर्व	-	-
		33	सुनील पुत्र मंगल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		34	दिनेश पाल पुत्र पूरण सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		35	ई0टी0एच0 ग्रुप (एमराल्ड फ्लैट)	100	पक्का	पूर्व	-	-
		36	राधा देवी पत्नी कृष्णानन्द जोशी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		37	जगदीश जोशी पुत्र स्व0 प्रेम वल्लभ जोशी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		38	कमल सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत	2	पक्का	पूर्व	-	-
		39	गोपाल सिंह नेगी पुत्र कमल सिंह नेगी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		40	मोहन लाल भट्ट पुत्र महेन्द्र प्रसाद भट्ट	1	पक्का	पूर्व	-	-
		41	हरीश भट्ट पुत्र महेन्द्र प्रसाद भट्ट	1	पक्का	पूर्व	-	-
		42	श्री महाकाली देवीदास शक्ति पीठ आश्रम	2	पक्का	पूर्व	-	-
		43	मोहन चन्द्र जोशी पुत्र हरिनन्दन जोशी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		44	बसन्त वल्लभ पोखरियाल पुत्र नारायण दत्त	1	पक्का	-	पश्चात	-
		45	दीपक भट्ट पुत्र तारादत्त भट्ट	1	पक्का	-	पश्चात	-
		46	सतीश चन्द्र मोनी पुत्र देवीदत्त मोनी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		47	हरीश भट्ट पुत्र महेन्द्र प्रसाद भट्ट	1	पक्का	-	पश्चात	-
		48	गौरव शर्मा ऐसोसियेट	3	पक्का	-	पश्चात	-
		49	हिमालयन स्कूल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		50	ब्रह्मपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	1	पक्का	-	पश्चात	-
		51	उत्तम सिंह पुत्र कुन्दन सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		52	हरिद्वार वालो की 02 दुकान	2	पक्का	-	पश्चात	-
		53	वीना पत्नी स्व0 सुरेश चन्द्र	1	पक्का	-	पश्चात	-
		54	मंजू पाल पत्नी राकेश पाल	1	पक्का	-	पश्चात	-
		55	शिव कुमार पुत्र थम्मन सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		56	सचिन कुमार पुत्र थम्मन सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		57	राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र गुमान सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		58	अशोक कुमार पुत्र रतिराम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		59	अनिता देवी त्यागी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		60	सोनी श्रीवास्तव पत्नी रवि श्रीवास्तव	1	पक्का	-	पश्चात	-
		61	मनोज गिरी पुत्र बैजनाथ सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		62	2 दूकान	2	पक्का	-	पश्चात	-
		63	प्रमोद कुमार पुत्र देवीदत्त भट्ट	1	पक्का	-	पश्चात	-
		64	राकेश सिंह गुसाई पुत्र वचन सिंह गुसाई	1	पक्का	-	पश्चात	-
		65	बृजवीर पुत्र नथु सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		66	विजय दत्त पुत्र कृष्ण दत्त	1	पक्का	-	पश्चात	-
		67	सरस्वती देवी पत्नी प्रेम बल्लभ जोशी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		68	कमल टाइल्स 9897119244	1	पक्का	-	पश्चात	-




h

Amratan

AE

3
जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		69	संजीव नरूला 8958117848	294 1	पक्का	-	पश्चात	-
		70	चीना पत्नी अनुज कुमार	1	पक्का	-	पश्चात	-
		71	सोनू गिरी 9458473306	1	पक्का	-	पश्चात	-
		72	ऋषिपाल	1	पक्का	-	पश्चात	-
		73	लक्ष्मी उपाध्याय पत्नी अशोक उपाध्याय	1	पक्का	-	पश्चात	-
		74	प्रमो पत्नी हरकेश	1	पक्का	-	पश्चात	-
		75	संजय पुत्र कृपाराम पान्थरी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		76	मनोज कुमार	1	पक्का	-	पश्चात	-
		77	राजन्द्र पुत्र कलीराम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		78	दीवान्शु	1	पक्का	-	पश्चात	-
		79	हुकम सिंह पुत्र मान सिंह	1	पक्का	-	पश्चात	-
		80	गोविन्द बल्लभ पुत्र बच्चौराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		81	सोहन सिंह पुत्र दिलेराम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		82	मोहन सिंह पुत्र दिलेराम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		83	हरीओम शर्मा पुत्र रवि कुमार शर्मा	1	पक्का	-	पश्चात	-
		84	उत्तम सिंह पुत्र कुन्दन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		85	सोम्या देवी पत्नी सन्नी पाण्डे	1	पक्का	-	पश्चात	-
		86	रीना शर्मा पत्नी स्व0 ललित कुमार शर्मा	1	पक्का	-	पश्चात	-
		87	बाला दत्त हतेली पुत्र कृष्णदत्त हतेली	1	पक्का	-	पश्चात	-
		88	रवि 8630213506	1	पक्का	-	पश्चात	-
		89	ज्ञानती देवी पत्नी स्व0 गोपाल दत्त	1	पक्का	पूर्व	-	-
		90	राजेन्द्र प्रसाद जोशी पुत्र स्व0 शंकर दत्त	2	पक्का	पूर्व	-	-
		91	विजय सिंह नेगी पुत्र कुंदन सिंह नेगी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		92	हीरा बल्लभ पन्त पुत्र केवला नन्द पन्त	1	पक्का	-	पश्चात	-
		93	ओम प्रकाश शर्मा पुत्र सोमदत्त शर्मा	1	पक्का	-	पश्चात	-
		94	लालवती देवी पत्नी जवाहर लाल	1	पक्का	पूर्व	-	-
		95	मोहन गोकुल धाम (संजय कृष्णा)	1	पक्का	-	पश्चात	-
		96	प्रकाशी देवी पत्नी स्व0 रामपाल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		97	महेश नेगी पुत्र बिशन सिंह नेगी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		98	महेश सिंह पुत्र शेर सिंह	2	पक्का	पूर्व	-	-
		99	देवकी नन्दन भट्ट पुत्र जशोदा भट्ट	1	पक्का	-	पश्चात	-
		100	राजकुमार पण्डित पुत्र कपिल देव पण्डित	1	पक्का	पूर्व	-	-
		101	सतपाल पुत्र ओम प्रकाश	1	पक्का	पूर्व	-	-
		102	लवलीश आश्रम	4	पक्का	पूर्व	-	-
		103	सक्सेना सदन	1	पक्का	-	पश्चात	-
		104	धर्मनिवास	1	पक्का	-	पश्चात	-
		105	अनमोल पुत्र विनय राजपूत	1	पक्का	-	पश्चात	-
		106	खाली मकान	1	पक्का	-	पश्चात	-



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107		रामअनुराग पाण्डे पुत्र राधिका प्रसाद पाण्डे		1	पक्का	-	पश्चात	-
108		प्रदीप मिश्रा		1	पक्का	-	पश्चात	-
109		दुकान बिजनौर वाले		2	पक्का	-	पश्चात	-
110		गंगा आरती धाम प्रबोधानन्द गिरी महाराज		1	पक्का	-	पश्चात	-
111		हरियाणा वाले मकान		1	पक्का	-	पश्चात	-
112		लखनऊ वाले अरुण (गोण्डा)		1	पक्का	-	पश्चात	-
113		रामशंकर शर्मा पुत्र राम नारायण शर्मा		1	पक्का	-	पश्चात	-
114		सीताराम सिद्ध श्रोत वाले		1	पक्का	-	पश्चात	-
115		हिमानी भाटी पुत्री सुखपाल सिंह		1	पक्का	-	पश्चात	-
116		विश्ववीर गुप्ता पुत्र स्व० रामाधार		1	पक्का	-	पश्चात	-
117		गजेन्द्र सिंह पुत्र करण सिंह		1	पक्का	-	पश्चात	-
118		हिमाशू शुक्ला		1	पक्का	-	पश्चात	-
119		सुरेश काला पुत्र ठाकुर दत्त काला (दुकान)		2	पक्का	-	पश्चात	-
120		सुनील दत्त शर्मा पुत्र शंकर दत्त शर्मा		1	पक्का	पूर्व	-	-
121		सुरेश पुत्र हरी सिंह		1	पक्का	-	पश्चात	-
122		रामकृष्ण शारदानन्द ओमशंकर गीता मठ		1	पक्का	-	पश्चात	-
123		देवस्थान (भूमिया)		1	पक्का	पूर्व	-	-
124		विकास पुत्र राजेन्द्र		1	पक्का	-	पश्चात	-
125		अतुल नाथ पुत्र स्व० महंत यमुना नाथ		1	पक्का	-	पश्चात	-
126		श्री निवास शर्मा		1	पक्का	-	पश्चात	-
127		मुकेश		1	पक्का	-	पश्चात	-
128		दिल्ली वालो का मकान		1	पक्का	-	पश्चात	-
129		लवुलीश योगा आश्रम		2	पक्का	पूर्व	-	-
130		वेगा होम गेस्ट हाउस		1	पक्का	-	पश्चात	-
131		राजवीर सिंह (जज साहब)		2	पक्का	-	पश्चात	-
132		तीन मजिला निर्माणाधीन मकान		1	पक्का	-	पश्चात	-
133		नया निर्माणाधीन मकान		1	पक्का	-	पश्चात	-
134		चण्डीघाट वालो का मकान		1	पक्का	-	पश्चात	-
135		लोकेश		1	पक्का	-	पश्चात	-
136		घनीराम		1	पक्का	-	पश्चात	-
137		राजकुमार		1	पक्का	-	पश्चात	-
138		खुशी राम भट्ट पुत्र पुरुषोत्तम दत्त भट्ट		1	पक्का	-	पश्चात	-
139		सुरेन्द्र कुमार		1	पक्का	-	पश्चात	-
140		शंकर पुत्र राधेश्याम		1	पक्का	-	पश्चात	-
141		सुबोध ममगाई टीन शेड		1	पक्का	-	पश्चात	-
142		दिल्ली वालो का लालगेट मकान		1	पक्का	-	पश्चात	-
143		प० सूधन सिंह सेवा ट्रस्ट दिल्ली वाले		1	पक्का	-	पश्चात	-
144		सतपाल पुत्र रामस्वरूप		1	झोपडी	-	पश्चात	-




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A-E

[Handwritten signature]
जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		145	लक्ष्मण सिंह पुत्र केवल सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		146	अशोक पुत्र कंवर सिंह	1	पक्का	—	पश्चात	—
		147	नरेन्द्र पुत्र आशाराम	1	पक्का	पूर्व	—	—
		148	प्रकाश पुत्र तुलसी	1	पक्का	पूर्व	—	—
		149	दलीराम पुत्र गरीबा	2	पक्का	पूर्व	—	—
		150	गोविन्द पुत्र प्रकाश	1	पक्का	—	पश्चात	—
		151	वीर सिंह पुत्र तुलसी	1	पक्का	—	पश्चात	—
		152	सुरेन्द्र पुत्र बालकृष्ण	1	पक्का	—	पश्चात	—
		153	राजकुमार पुत्र महावीर	1	पक्का	पूर्व	—	—
		154	नरेश पुत्र कृपाल	1	पक्का	पूर्व	—	—
		155	नारायण पुत्र देवीशरण	1	पक्का	पूर्व	—	—
		156	उमेश पुत्र लेखराज सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		157	रघुवीर सिंह पुत्र शामन्ती	1	पक्का	पूर्व	—	—
		158	चैन सिंह पुत्र मवासी	1	पक्का	पूर्व	—	—
		159	बुली सिंह पुत्र मवासी	1	पक्का	पूर्व	—	—
		160	महामृत्युंजय मन्दिर सरस्वती दण्डी स्वामी	1	पक्का	पूर्व	—	—
		161	श्री कृष्ण परमधाम पीठाधीश आश्रम	1	पक्का	पूर्व	—	—
		162	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रमेश भट्ट	1	पक्का	—	पश्चात	—
		163	दिल्ली वालो का मकान	2	पक्का	—	पश्चात	—
		164	सीमादेवी पत्नी मनोज कुमार	1	पक्का	—	पश्चात	—
		165	श्रीराम प्रसाद कुशवाहा	1	पक्का	—	पश्चात	—
		166	रूपा पत्नी धनप्रकाश	1	पक्का	—	पश्चात	—
		167	राजकुमार मिश्रा पुत्र विष्णु प्रसाद मिश्रा	1	पक्का	—	पश्चात	—
		168	विष्णु प्रभा	1	पक्का	—	पश्चात	—
		169	खाली मकान	1	पक्का	—	पश्चात	—
		170	शिव धाम (कृष्णकान्त शर्मा) आश्रम	1	पक्का	—	पश्चात	—
		171	खाली मकान	1	पक्का	—	पश्चात	—
		172	कृपाल सिंह पुत्र ओमप्रकाश	1	पक्का	—	पश्चात	—
		173	मदनपाल पुत्र विष्णु सिंह	1	पक्का	—	पश्चात	—
		174	नवीन भट्ट पुत्र टिकम भट्ट	1	पक्का	—	पश्चात	—
		175	सुन्दर सिंह पुत्र बच्ची सिंह	1	पक्का	—	पश्चात	—
		176	देवेन्द्र सिंह पुत्र हयात सिंह	1	पक्का	—	पश्चात	—
		177	भूमिका पत्नी दिनेश लाल	1	पक्का	—	पश्चात	—
		178	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रुद्रमणी	1	पक्का	—	पश्चात	—
		179	बबलू थपलियाल पुत्र वी०पी० थपलियाल	1	पक्का	—	पश्चात	—
		180	लालमल	1	पक्का	—	पश्चात	—
		181	गुंजन पहाडिया (गरूर आश्रम)	1	पक्का	—	पश्चात	—
		182	पत्रकार के बराबर में खाली मकान	1	पक्का	—	पश्चात	—



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
R-1

[Handwritten Signature]
AE

[Handwritten Signature]

जिलाधिकारी
हरिद्वार

297

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		183	महेश गिरी- आश्रम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		184	विनोद पुत्र हरदास -आश्रम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		185	मेहेश गिरी पुत्र निरंजन देव	1	पक्का	-	पश्चात	-
		186	बाबा दयाचन्द दास जी आश्रम(नोमी डेरा	2	पक्का	-	पश्चात	-
		187	प्रशान्त गिरी -आश्रम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		188	हरिआम गिरी -आश्रम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		189	साध्वी अर्चना- आश्रम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		190	गुरुकुल कन्या ओमबाबा आश्रम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		191	क्रिया योगा आश्रम	1	पक्का	-	पश्चात	-
		192	प्रकाश गडकोटी पुत्र चिन्तामणी गडकोटी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		193	श्री शक्ति धाम आश्रम राकेश गिरी	1	पक्का	-	पश्चात	-
		194	दिनेश पुत्र कृष्णपाल ट्यूबवेल	1	पक्का	-	पश्चात	-
		195	मदनपाल पुत्र बिशन सिंह ट्यूबवेल	1	पक्का	-	पश्चात	-

प्रत्येक उपरोक्त सभी निम्नलिखित स्थान पर है।

ह
आपके
आ डी
कागड

Chandana
R

AE

2

जिलाधिकारी
हरिद्वार



मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या- 102/2020 नाम छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्ध में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 में बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03, सितम्बर 2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लेखित टीमों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0स 0	राजस्व ग्राम का नाम	क्र0	नाम	आवास की संख्या	आवास का प्रकार कच्चा/प क्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पश्चात	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दूधला दयालवाला उर्फ टांटवाला	1	मेला राम पुत्र सिगूराम	1	कच्चा	पूर्व	-	-
		2	नेत्र पुत्र सिगूराम	1	कच्चा	पूर्व	-	-
		3	परमजीत पुत्र सिगूराम	1	कच्चा	पूर्व	-	-
		4	देशराज पुत्र सिगूराम	1	कच्चा	पूर्व	-	-
		5	हुकम सिंह पुत्र रिडका सिंह (दूयूवेल)	1	पक्का	पूर्व	-	-
		6	श्रीचन्द पुत्र बिशन सिंह	1	कच्चा	पूर्व	-	-
		7	सोम्मा सिंह पुत्र छितरु	1	पक्का	पूर्व	-	-
		8	ईश्वर सिंह पुत्र दोलतराम	1	पक्का	पूर्व	-	-
		9	प्रेम कौर पत्नी स्व0 किरती सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		10	कश्मीर सिंह पुत्र लबू सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		11	भगवती देवी पत्नी भूरा सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		12	सामुदायिक केन्द्र	1	पक्का	पूर्व	-	-
		13	बाबूराम पुत्र रामकला	1	पक्का	पूर्व	-	-
		14	बिरेश पुत्र सोहनवीर	1	पक्का	पूर्व	-	-
		15	मंगतेराम पुत्र बुद्ध सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		16	नराती देवी पत्नी मंजीत	1	पक्का	पूर्व	-	-
		17	मेहर कुमार पुत्र समर्थ कुमार	1	पक्का	पूर्व	-	-
		18	रामकरण पुत्र गजे सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		19	पप्पू पुत्र राम सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		20	रतन पुत्र पटवारी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		21	जगदीश पुत्र किशन	1	पक्का	पूर्व	-	-
		22	बिन्दर सिंह पुत्र किशन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		23	भजन सिंह पुत्र किशन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		24	शेरपाल पुत्र किशन सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		25	रामकली पत्नी रघुवीर	1	पक्का	पूर्व	-	-
		26	आत्माराम पत्र पटवारी	1	पक्का	पूर्व	-	-
		27	भारत सिंह पुत्र लाल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		28	देवेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		29	पार्थ पुत्र लाल सिंह	1	पक्का	पूर्व	-	-
		30	केहर सिंह पुत्र बसन्त राम	1	पक्का	पूर्व	-	-

R.S.I.

Ameshtari
R01

A-E

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		31	चेमली देवी पत्नी गरीबा सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		32	आंगनबाडी केन्द्र-1	1	पक्का	पूर्व	—	—
		33	रा0प्रा0 एवं उ0 मा0 वि0 दूधलादयालवाला	1	पक्का	पूर्व	—	—
		34	मदम सिंह पुत्र तुलसी सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		35	केशो देवी पत्नी झडिया सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		36	बिरमो देवी पत्नी पटवारी	1	कच्चा	पूर्व	—	—
		37	श्याम सिंह पुत्र झडिया सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		38	प्रम बहादुर पुत्र रघुराज सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		39	नानकू पुत्र नकली	1	पक्का	पूर्व	—	—
		40	नीटू पुत्र किशन	1	पक्का	पूर्व	—	—
		41	फूलो देवी पत्नी नकली	1	पक्का	पूर्व	—	—
		42	वीरेन्द्र सिंह गोस्वामी पुत्र प्रकाश चन्द	1	पक्का	पूर्व	—	—
		43	जगदीश पुत्र किशन	1	कच्चा	पूर्व	—	—
		44	करण सिंह पुत्र प्रकाश	1	पक्का	पूर्व	—	—
		45	सन्तोष सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		46	मंटून पुत्र सुकखे	1	पक्का	पूर्व	—	—
		47	कुसुम पत्नी बारू	1	पक्का	पूर्व	—	—
		48	संजय पुत्र बुद्ध सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		49	मूलचन्द पुत्र बुद्ध सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		50	बलदेव पुत्र जस्सा सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		51	कश्मीर पुत्र आत्माराम	1	पक्का	पूर्व	—	—
		52	धर्म कौर पत्नी मेलाराम	1	पक्का	पूर्व	—	—
		53	किशन बहादुर पुत्र रूद्र बहादुर	1	पक्का	पूर्व	—	—
		54	शीलो पत्नी नन्हे	1	कच्चा	पूर्व	—	—
		55	बाघ सिंह पुत्र झडिया	1	पक्का	पूर्व	—	—
		56	प्रकाश पुत्र बाघ सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		57	प्रमोद पुत्र बाघ सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		58	जीत सिंह पुत्र भगत सिंह	1	पक्का	पूर्व	—	—
		59	जगदीश बिजवाल पुत्र सुन्दर बिजवाल	1	पक्का	पूर्व	—	—
		60	वन गुजरु का डेरा (वन विभाग)	10	कच्चा	पूर्व	—	—
		61	गौशाला	1	कच्चा	पूर्व	—	—
		62	कुलविन्दर पुत्र जीत सिंह	1	पक्का	—	बाद	—
		63	दीपक पुत्र किशन बहादुर	1	पक्का	—	बाद	—
		64	हनुमान मन्दिर (बालाजी)	1	पक्का	—	बाद	—
		65	जंगल बीट रिजॉर्ट	1	पक्का	—	बाद	—
		66	हरजिन्दर पुत्र इकबाल सिंह	1	पक्का	—	बाद	—
		67	श्रवण सिंह पुत्र मनी सिंह	1	पक्का	—	बाद	—
		68	हरपाल सिंह पुत्र करम सिंह	1	पक्का	—	बाद	—

300



RSI

Amritam
RM

41

AE

जिलाधिकारी
हरिद्वार

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		69	परमजीत सिंह पुत्र करम सिंह	301	1	पक्का	—	बाद	—
		70	अर्जुन सिंह पुत्र मोहन सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		71	सुरेशचन्द पुत्र नकली सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		72	प्रेम बहादुर पुत्र रघुराज सिंह		1	कच्चा	—	बाद	—
		73	सोहन सिंह पुत्र पदम सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		74	प्राथमिक विद्यालय		1	पक्का	पूर्व	—	—
		75	राकेश पुत्र केहर सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		76	मांगेराम पुत्र गरीबा सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		77	विजय वमा पुत्र नामालुम		1	कच्चा	—	बाद	—
		78	मोहन सिंह पुत्र झडिया		1	पक्का	—	बाद	—
		79	उमेश पुत्र प्रेम बहादुर		1	पक्का	—	बाद	—
		80	गुरुद्वारा साहिब		1	पक्का	—	बाद	—
		81	पुराना मन्दिर		1	पक्का	पूर्व	—	—
		82	रणबीर पुत्र रिखीराम		1	पक्का	—	बाद	—
		83	ग्राम देवता		1	पक्का	—	बाद	—
		84	रामचन्द्र पुत्र बचन सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		85	सुरेश रावत पुत्र बचन सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		86	ध्यान सिंह पुत्र गुरुमुख सिंह		1	कच्चा	—	बाद	—
		87	गुरदयाल पुत्र ध्यान सिंह		1	कच्चा	—	बाद	—
		88	नितिश पुत्र धर्म सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		89	कुडा घर		1	पक्का	—	बाद	—
		90	करण सिंह पुत्र परमा सिंह		1	कच्चा	—	बाद	—
		91	दयाराम पुत्र दिलेराम		1	कच्चा	—	बाद	—
		92	जयप्रकाश पुत्र दिलेराम		1	कच्चा	—	बाद	—
		93	सन्तराम पुत्र केसरी		1	कच्चा	—	बाद	—
		94	श्रवण कौर पत्नी राजपाल सिंह		1	पक्का	—	बाद	—
		95	बूटीराम पुत्र हाकम सिंह		1	कच्चा	—	बाद	—
		96	जगबीर पुत्र पूरण सिंह		1	कच्चा	—	बाद	—
		97	सोमा पुत्र छितरू		1	कच्चा	—	बाद	—
		98	कश्मीर सिंह पुत्र लबू सिंह		1	कच्चा	—	बाद	—
		99	मुकेश कुमार पुत्र प्रेम बहादुर		1	पक्का	—	बाद	—

नोट— क्रम संख्या 12, 32, 33, 81, 83, 89 सरकारी भूमि पर व क्रम 60, 61 वन भूमि पर तथा अन्य निजी भूमि पर निर्मित है।



शुभाप/अ/ब/न
ग-उ-न/न/न
अ-न-का/न/न

अनुसूचित
अ/न/अ/न/अ
अ/न/अ/न/अ/न/अ
अ/न/अ/न/अ/न/अ

अ/न/अ/न/अ
अ/न/अ/न/अ/न/अ
अ/न/अ/न/अ/न/अ
अ/न/अ/न/अ/न/अ

जिलाधिकारी
हरिद्वार

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवदेन संख्या- 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 में बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03, सितम्बर 2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लेखित टीमों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	क्र०	नाम	आवास की संख्या	आवास का प्रकार कच्चा/पक्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के पश्चात	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भोगपुर प्रथम व भोगपुर द्वितीय	1	श्री गणेश स्कीनींग प्लांट	1	चार दीवारी एवं स्केनिंग प्लांट लगा है।	-	2019	-	
	2	गौशाला	1	चार दीवारी गौशाला बनी है।	-	2019	-	
	3	निजी नलकूप	1	नलकूप एवं एक कमरा बना है।	-	2021	-	
	4	निजी कमरा	1	एक आवासीय कमरा व खुले में शिव मूर्ति रखी है।	2015	-	-	
	5	सरकारी नलकूप	1	सरकारी पक्का नलकूप बना है।	2015	-	-	
	6	निजी शिव मंदिर	1	शिव मंदिर व दो पक्के कमरे बने हैं।	-	2021	-	
	7	शमशान घाट	1	शमशान घाट बना हुआ है।	2015	-	-	

उपरोक्तानुसार क्रम सं० 07 पर अंकित शमशान सम्पत्ति ग्राम सभा (सरकारी भूमि) में बना हुआ है अन्य सभी निर्मित आकृति निजी खसरा संख्याओं में बनी हुयी है। आख्या सादर सेवा में प्रेषित।




I. D. Handwar
 (आदेश)
 जल उप निरीक्षक
 जे.व. - भोगपुर


(Signature)
 जिलाधिकारी
 हरिद्वार

जाँच आख्या

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में अतिक्रमण का चिन्हांकन करने हेतु श्री परस राम सागर, जिलेदार सिंचाई विभाग व श्री तेलूराम राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र अहमदपुर कडच्छ, श्री ललित मोहन सर्वे लेखपाल, बन्दोबस्त को आवंटित ग्राम जगजीतपुर मुस्तहकम, ग्राम जगजीतपुर अहतमाल, ग्राम देवपुर मुस्तहकम व ग्राम देवपुर अहतमाल का स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम जगजीतपुर मुस्तहकम व ग्राम देवपुर मुस्तहकम में पूर्व में सीमाचिन्ह पीलर स्थापित किये गये हैं, उक्त पिलरों के अन्दर गंगा के बाढ़ क्षेत्र में कोई आबादी आवासीय भवन, होटल, आश्रम, धर्मशाला स्थित नहीं है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि ग्राम जगजीतपुर अहतमाल कोई राजस्व ग्राम नहीं है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।


परसराम सागर
जिलेदार सिंचाई विभाग।


09/09/2024
तेलूराम
राजस्व उप निरीक्षक,
राजस्व विभाग।



ललित मोहन
सर्वे लेखपाल,
बन्दोबस्त विभाग।




जिलाधिकारी
हरिद्वार

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 में बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03, सितम्बर 2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लेखित टीमों द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मैदान परिक्षेत्र अन्तर्गत स्थित ग्रामों में गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम	क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	आवास की सं०	आवास का प्रकार कच्चा/पक्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के बाद	विवरण
देवपुरा अहतमाल	01	ब्रिजमोहन	श्री कृपाल सिंह	01	कच्चा	पूर्व
	02	रामगोपाल	स्व० नन्हे सिंह	01	कच्चा	पूर्व
	03	विकास कुमार	रामप्रकाश	01	कच्चा	पूर्व
	04	तरुण	01	कच्चा	पूर्व
	05	उषा देवी	स्व० रामपाल	01	कच्चा	पूर्व
	06	अरविन्द कुमार	स्व० रघुवीर चरण	01	कच्चा	पूर्व
	07	पान सिंह	01	कच्चा	पूर्व
	08	मोहित	स्व० गोविन्द सिंह	01	कच्चा	पूर्व
	09	अरविन्द कुमार	स्व० रघुवीर चरण	01	कच्चा	पूर्व
	10	अरविन्द कुमार	स्व० रघुवीर चरण	01	कच्चा (दुकान)	पूर्व
	11	जुगविन्दर सिंह	स्व० सुखविर सिंह	01	कच्चा	पूर्व
	12	मदन पाल	स्व० बलविर	01	कच्चा	पूर्व
	13	महेन्द्र सिंह	स्व० रामप्रसाद	01	कच्चा	पूर्व
	14	लौंग श्री	स्व० यादराम	01	कच्चा	पूर्व
	15	ओम सिंह	01	कच्चा	पूर्व
	16	अंकित पाल	मुकेश कुमार	01	कच्चा	पूर्व
	17	मुकेश कुमार	स्व० उमराव सिंह	01	कच्चा	पूर्व
	18	सतीश कुमार	स्व० बलबीर सिंह	01	कच्चा	पूर्व
	19	उर्मिला देवी	स्व० लल्लन सिंह	01	कच्चा	पूर्व




जिलेदार
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

जिलाधिकारी
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

20	सिकन्दर मुनि	चलित्र मुनि	01	कच्चा	पूर्व
21	विनोद कुमार	स्व0 राजाराम	01	कच्चा	पूर्व
22	अजनीश	स्व0 चन्द्रपाल	01	कच्चा	पूर्व
23	कुशल पाल	अनिल कुमार	01	कच्चा	पूर्व
24	अनिल कुमार	स्व0 चन्द्रपाल	01	कच्चा	पूर्व
25	ओम प्रकाश	रिशाल	01	कच्चा	पूर्व
26	संदीप	शुरवीर सिंह	01	कच्चा	पूर्व
27	अरविन्द कुमार	राम सिंह	01	कच्चा	पूर्व
28	राम प्रताप	ओम प्रकाश	01	कच्चा	पूर्व
29	बलजीत	ब्लवीर	01	कच्चा	पूर्व
30	माया	स्व0 जयपाल	01	कच्चा	पूर्व
32	मुकेश	राजपाल	01	कच्चा	पूर्व
33	मनोज कुमार	ओम प्रकाश	01	कच्चा	पूर्व
34	प्रवेश कुमार	भोपाल सिंह	01	कच्चा	पूर्व
35	विरेन्द्र	01	कच्चा	पूर्व
36	वेदप्रकाश शर्मा	मोहनलाल शर्मा	01	कच्चा	पूर्व
37	कमलेश	चवनप्रकाश शर्मा	01	कच्चा	पूर्व
38	सोनिया	मुकेश	01	कच्चा	पूर्व
39	ऋषि पाल	स्व0 आशा राम	01	कच्चा	पूर्व
40	बालिस्टर कश्यप	अमर सिंह	01	कच्चा	पूर्व
41	अमन	बालिस्टर कश्यप	01	कच्चा	पूर्व
42	सुरेश	अमर सिंह	01	कच्चा	पूर्व
43	उत्तम साहनी	गंगु साहनी	01	कच्चा	पूर्व
44	आंगनवाड़ी		01	कच्चा	पूर्व




जिलेदार
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

46

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

जिलेदार
हरिद्वार

45	मंमता	किरन पाल	01	कच्चा	पूर्व
46	समर पाल	नत्थु सिंह	01	कच्चा	पूर्व
47	पूरण चन्द	कालू राम	01	कच्चा	पूर्व
48	फूल सिंह	देवी चन्द	01	कच्चा	पूर्व
49	मदन पाल	ओम प्रकाश	01	कच्चा	पूर्व
50	महिपाल सिंह	स्व0 लाल सिंह	01	कच्चा	पूर्व
51	नरेश	तेजपाल	01	कच्चा	पूर्व
52	गंगा शरण	01	कच्चा	पूर्व
53	सतपाल	सज्जन सिंह	01	अनाथालयए (पक्का) गौशाला एवं तारबाड़ (कच्चा)	पूर्व
54	चन्द्रमोहन	01	पंप हाउस	पूर्व
55	चन्द्रमोहन	01	कच्चा	पूर्व
56	चन्द्रमोहन	01	कच्चा	पूर्व
57	चन्द्रमोहन	01	कच्चा	पूर्व
58	विद्याधीश स्वामी जी महाधिपति पालीमार मठ बड़ा हनुमान मन्दिर	01	मन्दिर एवं चारदीवारी	पूर्व
59	डॉ अशोक चढढा सेवा आश्रम संस्था	01	पक्का	पूर्व
60	मुन्ना यादव	शम्भु यादव	01	पक्का	पूर्व
61	सतीश	नगदुराम मौर्य	01	कच्चा	पूर्व
62	अर्जुन सैनी	जोगेन्द्र सैनी	01	कच्चा	पूर्व
63	धर्मसिंह	रामसिंह	01	कच्चा	पूर्व
64	प्रमोद खेवट	उमेश खेवट	01	कच्चा	पूर्व
65	विपिन	सिहांसन	01	कच्चा	पूर्व
66	सीताराम	ठागा पंडित	01	कच्चा	पूर्व
67	पूजा देवी	जीवन ज्योति	01	कच्चा	पूर्व
68	मुकेश पासवान	सुशिल पासवान	01	कच्चा	पूर्व
69	लक्ष्मी	रामप्रसाद साहनी	01	कच्चा	पूर्व
70	मंगल	गोविन्द सिंह	01	कच्चा	पूर्व
71	मुन्नि	स्व0 मुकेश	01	कच्चा	पूर्व
72	जगदीश ठाकुर	स्व0 विन्देश्वर ठाकुर	01	कच्चा	पूर्व
73	लक्ष्मण साहनी	01	कच्चा	पूर्व



Bees
विलेवर
खण्ड हरिद्वार

47

रिचार्ड खण्ड हरिद्वार

खण्ड हरिद्वार

74	नरेश कश्यप	श्यामलाल कश्यप	01	कच्चा	पूर्व
75	शिव कुमार यादव	नन्द किशोर यादव	01	कच्चा	पूर्व
76	अमरजीत	शिव कुमार यादव	01	कच्चा	पूर्व
77	विश्वनाथ साहनी	जगदीश साहनी	01	कच्चा	पूर्व
78	विनोद साहनी	रामनाथ साहनी	01	कच्चा	पूर्व
79	रामप्रसाद	नन्हें साहनी	01	कच्चा	पूर्व
80	रेश्मा	स्व0 विजय	01	कच्चा	पूर्व
81	लिला देवी	स्व0 सुखदेव साहनी	01	कच्चा	पूर्व
82	अजय साहनी	01	कच्चा	पूर्व
83	बैजनाथ साहनी	बटोही साहनी	01	कच्चा	पूर्व
84	नित्यानन्द विश्वास	हृदय विश्वास	01	कच्चा	पूर्व
85	मन्दिर	01	कच्चा	पूर्व
86	उत्तम सरकार	दुलाल सरकार	01	कच्चा	पूर्व
87	शिव साहनी	रगदीप साहनी	01	कच्चा	पूर्व
88	अजय साहनी	जंगबहादुर साहनी	01	कच्चा	पूर्व
89	अमरजीत	रामप्रसाद साहनी	01	कच्चा	पूर्व
90	गोविन्द साहनी	फकीरा साहनी	01	कच्चा	पूर्व
91	संजय साहनी	रामजी साहनी	01	कच्चा	पूर्व
92	सुनैना देवी	रामु साहनी	01	कच्चा	पूर्व
93	अमरीश साहनी	किशोरी साहनी	01	कच्चा	पूर्व
94	पप्पू	शिवचन्द्र साहनी	01	कच्चा	पूर्व
95	राजकिशोर साहनी	पथलू साहनी	01	कच्चा	पूर्व
96	मन्दिर	01	कच्चा	पूर्व
97	मिठ्ठू साहनी	किशोरी लाल	01	कच्चा	पूर्व
98	लखेन्द्र साहनी	सीताराम साहनी	01	कच्चा	पूर्व
99	उमेश साहनी	रामनन्द साहनी	01	कच्चा	पूर्व
100	मनोज यादव	सत्यनारायण यादव	01	कच्चा	पूर्व
101	जितेन्द्र	किशन गुप्ता	01	कच्चा	पूर्व
102	संजय साहनी	जगदीश साहनी	01	कच्चा	पूर्व
103	सुशील साहनी	राजकुमार साहनी	01	कच्चा	पूर्व
104	रामु साहनी	रामचरण साहनी	01	कच्चा	पूर्व
105	रामविलास पासवान	बाबुलाल	01	कच्चा	पूर्व
106	इन्द्र साहनी	लखम साहनी	01	कच्चा	पूर्व
107	रोदल साहनी	रामइकबाल साहनी	01	कच्चा	पूर्व
108	अशोक	मेति कहार	01	कच्चा	पूर्व
109	लोटी साहनी	रामजे साहनी	01	कच्चा	पूर्व
110	सबीश कुमार	रामसिंह	48	कच्चा	पूर्व




जि.प.नं. 110
मि.चाई खण्ड की

सहायक ज.प.नं. 2
मि.चाई खण्ड की

जिलाधिकारी
रि.प.नं. 2


111	सतीश कुमार	रामसिंह	01	पक्का- मन्दिर	पूर्व
112	सतीश कुमार	रामसिंह	01	कच्चा	पूर्व
113	राधेश्याम	महेन्द्र सिंह	01	कच्चा	पूर्व
114	ज्योति प्रहलाद	माया देवी	01	कच्चा	पूर्व
115	ऋषिराज	सागर मल	01	कच्चा	पूर्व
116	अंजू चौबे	महेश कुमार	01	कच्चा	पूर्व
117	महेन्द्र पाल	शंकर पाल	01	कच्चा	पूर्व
118	कविता देवी	रामकुमार	01	कच्चा	पूर्व
119	अजय कश्यप	स्व0 विजयपाल कश्यप	01	कच्चा	पूर्व
120	गंगा	स्व0 शिवकुमार	01	कच्चा	पूर्व
121	लक्ष्मण साहनी	01	कच्चा	पूर्व
122	ए.के चौधरी	01	कच्चा	पूर्व
123	लीला देवी	सुखदेव साहनी	01	कच्चा	पूर्व
124	भौरी देवी	स्व0 धर्मदास	01	कच्चा	पूर्व
125	छाया देवी	स्व0 बिरमानन्द	01	कच्चा	पूर्व
126	पंचदेव राजभर	नन्दलाल	01	कच्चा	पूर्व
127	स्कूल	01	कच्चा	पूर्व
128	छोटे लाल यादव	सत्यनारायण यादव	01	कच्चा	पूर्व
129	विनोद साहनी	जगदीश साहनी	01	कच्चा	पूर्व
130	नारायण साहनी	लोथा साहनी	01	कच्चा	पूर्व
131	विनय कुमार	जोगेन्द्र साहनी	01	कच्चा	पूर्व
132	मल्लू साहनी	जोगेन्द्र साहनी	01	कच्चा	पूर्व
133	राधा देवी	सीताराम साहनी	01	कच्चा	पूर्व
134	टोनी	विजयपाल कश्यप	01	कच्चा	पूर्व
135	पूरन चन्द	बैजू	01	पक्का	पूर्व
136	सतपाल	सज्जन सिंह	01	बाउन्डी	पूर्व
137	सतपाल	सज्जन सिंह	01	बाउन्डी	पूर्व
138	कमल	रमेश	01	कच्चा	बाद
139	बिटटू शर्मा	श्री राधेश्याम शर्मा	01	कच्चा	बाद
140	रामवीर सिंह	सपना	01	कच्चा	बाद
141	महेन्द्र सिंह	घसीटू	01	कच्चा	बाद
142	नीरज शर्मा	कैलाश शर्मा	01	कच्चा	बाद
143	अर्जुन सिंह	पल्लू सिंह	01	कच्चा	बाद
144	रामप्रकाश	स्व0 ब्रिजनाथ	01	कच्चा	बाद
145	जितेन्द्र	ज्ञानसिंह	01	कच्चा	बाद
146	मन्दिर	01	कच्चा	बाद
147	मनोज कुमार	ओमप्रकाश	01	कच्चा	बाद
148	कैलाश	01	कच्चा	बाद
149	राणी देवी	स्व. पूरण पाल	01	कच्चा	बाद
150	श्याम सिंह	सीताराम	01	कच्चा	बाद
151	अनिल कश्यप	ऋषि कश्यप	01	कच्चा	बाद
152	मलखान	01	कच्चा	बाद
153	सुखीराम	कंछी देवी	01	कच्चा	बाद



राहस्यक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

154	सुनील शर्मा	स्व0 रामरतन शर्मा	01	कच्चा	बाद
155	धर्मेन्द्र सिंह	बैगराज सिंह	01	कच्चा	बाद
156	मुकेश साहनी	नन्दकिशोर साहनी	01	कच्चा	बाद
157	मिथलेश साहनी	हेथलाल साहनी	01	कच्चा	बाद
158	महिपाल	सतपाल	01	पक्का	बाद
159	अमरजीत	धनवीर	01	कच्चा	बाद
160	मनोज	01	कच्चा	बाद
161	सुनील पाल	स्व0 सोहनलाल	01	कच्चा	बाद
162	मोहन	नोरतु	01	कच्चा	बाद
163	परमोद	01	कच्चा	बाद
164	विनीत	जयप्रकाश	01	कच्चा	बाद
165	अमित कुमार	जयप्रकाश	01	कच्चा	बाद
166	कवेन्द्र सिंह	श्रीरधुनाथ सिंह	01	कच्चा	बाद
167	शहिद सुबेराम द्वार गंगो योग न्यास आश्रम	01	पक्का	बाद
168	लहरी सिंह	स्व0 उमराव	01	पक्का	बाद
169	विनोद यादव	सुखदेव यादव	01	कच्चा	बाद
170	रणजीत	त्रिलोकी नाथ	01	कच्चा	बाद
171	रवि	सुरेन्द्र सिंह	01	कच्चा	बाद
172	नन्दु साहनी	सहदेव साहनी	01	कच्चा	बाद
173	राकेश साहनी	सागर साहनी	01	कच्चा	बाद
174	मुन्ना पंडित	महावीर पंडित	01	कच्चा	बाद
175	मुन्ना भारद्वाज	कन्तु भारद्वाज	01	कच्चा	बाद
176	मोहनी	गोपी	01	कच्चा	बाद
177	झरी साहनी	महेश साहनी	01	कच्चा	बाद
178	सवीता	राजेन्द्र कुमार	01	कच्चा	बाद
179	मीना देवी	गोविन्द साहनी	01	कच्चा	बाद
180	पप्पू भारद्वाज	सुरजू भारद्वाज	01	कच्चा	बाद
181	संतोष	फूलसिंह	01	कच्चा	बाद
182	सोनू	श्रामसिंह	01	कच्चा	बाद
183	श्यामू	फूल सिंह	01	कच्चा	बाद
184	पिन्टू	पिंकी	01	कच्चा	बाद
185	राजू	ओमी	01	कच्चा	बाद
186	प्रमोद साहनी	रामबहादुर साहनी	01	कच्चा	बाद
187	महेन्द्र साहनी	चौथी साहनी	01	कच्चा	बाद
188	दीपक ठाकुर	स्व. प्रेमसिंह ठाकुर	01	कच्चा	बाद
189	अनिल	किशनलाल	01	कच्चा	बाद
190	ज्वाला	01	कच्चा	बाद
191	सुनील	चन्द्रशेखर साहनी	01	कच्चा	बाद
192	मनोज साहनी	अलकृति साहनी	01	कच्चा	बाद
193	रामबाबू साहनी	अमेरी साहनी	01	कच्चा	बाद
194	दिलिप माझी	रामदास	01	कच्चा	बाद





195	संजीत	उपेन्द्र साहनी	01	कच्चा	बाद
196	फूल कुमारी	अन्नू	01	कच्चा	बाद
197	संजय	दुखी राम	01	कच्चा	बाद
198	नन्दु यादव	गोपाल यादव	01	कच्चा	बाद
199	रत्नेश साहनी	उमेश साहनी	01	कच्चा	बाद
200	शेरसिंह	रामदयाल	01	कच्चा	बाद
201	चन्द्र दत्त प्रसाद	विरेंद्र	01	कच्चा	बाद
202	विरेंद्र साहनी	हृदयद्वार साहनी	01	कच्चा	बाद
204	विद्यया देवी	लम्पी साहनी	01	कच्चा	बाद
205	सोनू साहनी	सुखदेव साहनी	01	कच्चा	बाद
206	विनय साहनी	रामचन्द्र	01	कच्चा	बाद
207	पूरन चन्द	बैजू	01	पक्का , झौपड़ी	बाद
208	कवलजीत	सरबजीत	01	कच्चा	बाद
209	सुधा	महिपाल	01	कच्चा (ईट की दीवार, छत नहीं है)	बाद
210	मन्दिर हनुमान जी	01	पक्का	बाद
211	संतपाल	सज्जन सिंह	01	कच्चा (टिन सैड, हॉल)	बाद


सिंचाई विभाग द्वारा दी गयी सत्यापन लिस्ट मे इनका नाम दर्ज नहीं है

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	आवास की सं०	आवास का प्रकार कच्चा/पक्का	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 से पूर्व	निर्माण दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के बाद	विवरण
देवपुरा अहतमाल	212	रामअवतार	रामभरोसे	01	कच्चा टिन सैट	पूर्व
	213	सिद्धान्त बरगोती	सतीश बरगोती	03	पक्का	पूर्व
	214	शमशान घाट	01	पक्का	पूर्व
	215	पंचायती बड़ा अखाड़ा	01	पक्का	पूर्व

उक्त क्रम संख्या- 53,54,55,56,57,59,110,111,112,135,136,137,207,208,211,212,213,214, व 215 के नाम खतौनी फसली वर्ष 1421 के अभिलेख में अंकित है।


(परसराम सागर)
जिलेदार, सिंचाई विभाग


25-11-24
(तेलूराम)
राजस्व उपनिरीक्षक,
राजस्व विभाग।


(ललित मोहन)
सर्वे लेखपाल,
बन्दोबस्त विभाग
जिलाधिकारी
हरिद्वार

उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण की 100 वर्षीय बाढ आवृत्ति रेखा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में किये गये निर्माणों का विवरण:-

क्र०सं०	ग्रामों का नाम	सरकारी भूमि में निर्माण	निजी भूमि में निर्माण	योग
1	सिरसली	0	5	5
2	जगजीतपुर	0	0	0
3	सजनपुर पीली	0	124	124
4	श्यामपुर नौआबाद	0	96	96
5	कांगडी	0	202	202
6	गाजीवाली	0	195	195
7	देवपुरा मुस्तहकम	0	0	0
8	मिस्सरपुर अहतमाल	0	11	11
9	मिस्सरपुर मुस्तहकम	0	11	11
10	बिशनपुर मुस्तहकम	2	17	19
11	बिशनपुर झरडा अहतमाल			
12	दूधलादयालवाला	8	91	99
13	भोगपुर-प्रथम	1	6	7
14	भोगपुर-द्वितीय			
15	कटारपुर अलीपुर	0	7	7
16	देवपुरा अहतमाल	19	196	215
	योग	30	961	991


नोट:-

1-ग्राम दूधलादयालवाला के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर किये गये निर्माणों की संलग्न सूची के क्रमांक-12 सामुदायिक केन्द्र, 32-आंगनबाडी केन्द्र, 33-स्कूल, 81-मंदिर, 83-मंदिर, 89-कूडा घर आदि निर्माण किये गये है।

2-ग्राम बिशनपुर मुस्तहकम के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर किये गये निर्माणों की संलग्न सूची के क्रमांक-11 व 19 पर शमशान घाट का निर्माण किया गया है।

3-ग्राम भोगपुर-प्रथम/द्वितीय के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर किये गये निर्माणों की संलग्न सूची के क्रमांक-07 पर शमशान घाट का निर्माण किया गया है।

शेष सभी सरकारी/निजी भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा निर्माण किये गये है।



(कर्मेंद्र सिंह)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

जिलाधिकारी
हरिद्वार

सं: 3590 /नो0/कन0/318/2020-21

दिनांक: 18 नवम्बर, 2024

जिलाधिकारी हरिद्वार
महोदय,

कृपया अपने आदेश संख्या 810/एल0बी0ए0/2024 दिनांक 17.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या- 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के क्रम में उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में फ्लड प्लेन जोनिंग के अन्तर्गत 25 वर्ष की आवृत्ति रेखा एवं 25 वर्ष से 100 वर्ष तक की आवृत्ति रेखा के अन्दर आने वाले अतिक्रमणों एवं अन्य निर्माणों की पृथक-पृथक सूची तथा वर्ष 2016 से पूर्व एवं 2016 के पश्चात् के अतिक्रमणों एवं अन्य निर्माणों की अलग-अलग सूची तैयार किए जाने हेतु कमेटी का गठन किया गया था। तदोपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 1092/एल0बी0ए0-2024 जो ईमेल दिनांक 06.11.2024 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, के द्वारा निम्नानुसार वांछित बिन्दुवार आख्या/ Action Taken Report तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 07.11.2024 को कार्यालय हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में उक्त गठित समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में हुए विचार-विमर्श उपरान्त वांछित बिन्दुवार आख्या/ Action Taken Report निम्नवत् है :-

बिन्दु संख्या	मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 22.08.2024 को पारित आदेश के बिन्दु	आख्या/ Action Taken Report
(a)	The Methodology adopted for demarking flood plain zone taking into account the 100 years and the intervals thereon and maps.	<p>(i) सिंचाई विभाग हरिद्वार, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H.), रूड़की एवं जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद के द्वारा 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत चिन्हित किये जाने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई गयी है उसके संबंध में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H.), रूड़की के द्वारा अपनी विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट पूर्व में ही महोदय को प्रेषित की जा चुकी है। अतः इस बिन्दु पर पूर्व प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यवाही की जानी उचित होगी।</p> <p>(ii) उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत 25 व 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा का राजस्व शजरों में चिन्हांकन किया गया है। प्रत्येक ग्राम का शजरा जिसमें 25 व 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा चिन्हांकित की गयी है, से संबंधित ग्रामों</p>



Hey महोदय

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

		के राजस्व शजरों(मानचित्र) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
(b)	Demarcation as per Ganga order 2016.	Ganga order 2016 में 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को लेकर चिन्हीकरण किए जाने का उल्लेख है। वर्तमान समय तक गंगा आर्डर 2016 के तहत अलग से चिन्हीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है। सिंचाई खण्ड, हरिद्वार एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H.), रुड़की के द्वारा पूर्व में ही 25 व 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत चिन्हीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
(C)	Action taken for removal of encroachment from the flood plain zone.	जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, रोशनाबाद, हरिद्वार में आहुत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड हरिद्वार की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग, तहसील लक्सर तथा तहसील हरिद्वार के कार्मिकों की संयुक्त टीम को संयुक्त निरीक्षण कर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की परिसीमन के अन्तर्गत आने वाले निर्माणों का सत्यापन कर सत्यापन सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, हरिद्वार के द्वारा अपने पत्रांक 3748/सिं0ख0ह0 दिनांक 22.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के द्वारा शजरे पर अंकित बाढ़ आवृत्ति रेखा के आधार पर जिला प्रशासन एवं सिंचाई खण्ड, हरिद्वार के अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम द्वारा स्थलीय सर्वेक्षण किया गया तथा अधिसूचना संबंधी अतिक्रमण की सूची तैयार की गयी है। प्राप्त सर्वे सूची का परीक्षण करने पर विदित है कि सर्वेक्षण टीम को सर्वे के दौरान सरकारी व निजी भूमि पर जो भी 25 व 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा के अन्दर निर्माण पाया गया उसका विवरण सर्वेक्षण सूची में स्पष्टतया अंकित किया गया है। सर्वेक्षण सूची में कई वर्ष



Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

		पूर्व से बनी मूल आबादी एवं नये निर्माण सम्मिलित हैं। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, हरिद्वार के द्वारा प्रेषित विस्तृत सर्वे रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
(d)	The action which has been taken for removal of the encroachment from the flood plain area.	तहसील व सिंचाई विभाग की गठित संयुक्त टीम के द्वारा किये गये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार संबंधित ग्रामों में 25 व 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा के परिसीमन में जो भी भवनों आदि का निर्माण निजी/ सरकारी भूमि पर लोगों के द्वारा किया गया है, उसे हटाने के सम्बन्ध में उच्च स्तर से निर्णय लिया जाना उचित होगा।
(e)	What action has been taken till now for demarcation of flood plain in terms of the Rejuvenation Order of 2016.	उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में 25 से 100 वर्ष तक की आवृत्ति रेखा के अन्दर आने वाले अतिक्रमणों एवं अन्य निर्माणों की पृथक-पृथक सूची तथा वर्ष 2016 से पूर्व एवं 2016 के पश्चात् के अतिक्रमणों एवं अन्य निर्माणों की अलग-अलग सूची तैयार किए जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि सिंचाई खण्ड, हरिद्वार एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H.), रुड़की के द्वारा 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत चिन्हित किये जाने हेतु अपनाई गयी प्रक्रिया उपरान्त सम्बन्धित ग्रामों के राजस्व शजरों में 25 व 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को एक ही रेखा में रेखांकित/ चिन्हांकित की गयी है। राजस्व ग्रामों के शजरों में चिन्हांकित/ रेखांकित बाढ़ आवृत्ति रेखा को आधार मानते हुए ही जिला प्रशासन व सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम के द्वारा 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा के अन्तर्गत वर्ष 2016 से पूर्व व वर्ष 2016 के पश्चात् किये गये निर्माणों की ग्रामवार सूची तैयार की गयी है। सर्वे उपरान्त ग्रामवार तैयार की गयी सर्वे रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।



[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]
जिलाधिकारी
हरिद्वार

उक्त प्रकरण में यह तथ्य संज्ञान में लाना है कि सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राजस्व मानचित्र (शजरो) में 25 एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा को एक ही रेखा में प्रदर्शित/ रेखांकित की गयी है जिस कारण राजस्व/ सिंचाई विभाग की टीम के द्वारा महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की रेखा के अन्दर आने वाले समस्त निर्माणों की सूची तैयार की जा सकी है तथा 25 वर्षीय आवृत्ति रेखा के अन्तर्गत आने वाले निर्माणों की सूची अलग से तैयार नहीं की जा सकी है। 25 वर्षीय एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखाएं अलग-अलग न होकर एक ही रेखा में होने के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग हरिद्वार, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H.), रुड़की एवं जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद के द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान(N.I.H.), रुड़की के द्वारा 25 एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा के एक ही रेखा होने अथवा अलग-अलग रेखा होने के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या तत्समय के कोर्डिनेट्स व अन्य डाटा का परीक्षण करने के उपरान्त अपनी आख्या पृथक से यथाशीघ्र जिला कार्यालय, हरिद्वार को उपलब्ध करायी जायेगी।


अतः उपरोक्तानुसार संयुक्त आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।
संलग्नक:- यथोपरि।



अधिसासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।



अधिसासी अभियन्ता,
जल विज्ञान खण्ड,
बहादुराबाद, हरिद्वार



अधिसासी अभियन्ता,
उत्तरी खण्ड गंगा नहर,
रुड़की।



उपजिलाधिकारी,
हरिद्वार



उपजिलाधिकारी,
लक्सर


नगर मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, हरिद्वार


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, लक्सर
रुड़की


निदेशक,
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (N.I.H.),
रुड़की
डॉ. मनमोहन कुमार गोयल/ Dr. M. K. Goel
निदेशक/ Director
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान
National Institute of Hydrology
रुड़की / Roorkee-247 667


सचिव,
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।




जिलाधिकारी
हरिद्वार



संघर्ष शक्तेः शान्तिः मनेवम्

316

कार्यालय

अधिशाली अभियन्ता

सिंचाई खण्ड मायापुर, हरिद्वार-249401

(ई-मेल-idharidwar@gmail.com)

पत्रांक:- 3748 /सिं0ख0ह0 /

दिनांक : 22 / 10 / 2024

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या--102 / 2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के संबंध में।

सचिव,

हरिद्वार-रूडकी

विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या--102 / 2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के बिन्दु संख्या-5 से 6 में उल्लेख किया गया है कि:-

5. Affidavit of the District Magistrate or the report of the Haridwar Roorkee Development Authority do not disclose as to what action has been taken till now for demarcation of flood plain in terms of the Rejuvenation Order of 2016. At this stage, it is worth noting that the District Magistrate is head of the District Committee under the Order of 2016 and he is required to ensure compliance of provisions of the said order.

6. Hence, we require the District Magistrate, Haridwar to file a fresh report by way of affidavit disclosing the action taken in terms of 2016 Order and also answering the observations made above. In the report, District Magistrate, Haridwar will also disclose the action which has been taken for removal of the encroachment from the flood plain area. Let the same be filed within four weeks.

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कलेक्ट्रेट, सभागार, रोशनाबाद हरिद्वार में एक बैठक ली गयी। जिसमें National Institute Of Hydrology- Jal Vigyan Bhawan, Roorkee के प्रतिनिधि, सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार, मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई विभाग विश्व बैंक कॉलोनी सिंहद्वार हरिद्वार, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार, अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार / रूडकी (उत्तर प्रदेश), अधिशाली अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद, हरिद्वार, अधिशाली अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी एवं तहसीलदार हरिद्वार द्वारा प्रतिभाग किया गया।


बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में अतिक्रमण का चिन्हांकन कर अन्दर अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार की अध्यक्षता में किया जायेगा तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तहसील लक्सर तथा तहसील हरिद्वार की टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण कर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की परिरीमन के अन्तर्गत अतिक्रमण को चिन्हित करने के उपरान्त अपनी संयुक्त रिपोर्ट/सूची प्रेषित की जानी थी।




जिलाधिकारी
हरिद्वार

उक्त के क्रम में सूचनाय है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-828/II(2)-2018-06(65)/2016 दिनांक 11.05.2018 के कियान्वयन हेतु गठित समिति की प्रथम बैठक 26.07.2016 को आहूत की गयी थी, जिसमें नोडल अधिकारी/अधिसासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार द्वारा फ्लड प्लेन जोनिंग के लिये विगत 25 वर्षों के आंकड़े तत्समय नदी के व्यवहार एवं आकार आबादी के स्वरूप एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभिकल्पन सर्वेक्षण करते हुए डिजिटल मेप तैयार करने हेतु राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की को उक्त कार्य सौंपा गया, तत्पश्चात राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा सन 1987 से 2014 तक के भीमगौड़ा बैराज के डिस्चार्ज आंकड़े लिये गये, उक्त आंकड़ों को Process कर के विभिन्न आवृत्ति के आंकड़े जैसे 25, 50, 100 वर्ष के बाढ़ का आंकलन किया गया। इसके बाद विभिन्न आवृत्ति के बाढ़ की सीमा का मानचित्र पर एन0आई0एच0 के द्वारा अंकन किया गया एवं रिपोर्ट तैयार की गयी। सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त 25, 50, एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति लाईन को एन0आई0एच0 के द्वारा शजरे पर अंकित की गयी सूची प्रेषित की गयी।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा शजरे पर अंकित बाढ़ आवृत्ति रेखा के अधार पर ही सिंचाई खण्ड हरिद्वार, तहसील लक्सर तथा तहसील हरिद्वार की टीम द्वारा स्थलीय सर्वेक्षण किया गया तथा अधिसूचना सम्बन्धित अतिक्रमण की सूची तैयार की गयी है।


अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार


जिलाधिकारी
हरिद्वार



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. NO. 102/2023

IN THE MATTER OF

Neeraj Chhachhar & Anr

..... Applicants

VERSUS


State of Uttarakhand & Ors

.... Respondents

**APPLICATION UNDER SECTION 5 OF LIMITATION ACT, 1963 R/W
151 OF CIVIL PROCEDURE CODE SEEKING CONDONATION OF
DELAY IN FILING THE AFFIDAVIT ALONG WITH SUPPORTING
AFFIDAVIT**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. THAT the aforementioned matter is pending adjudication and the next date of hearing is 04.12.2024.
2. THAT vide order dated 22.08.2024, this Hon'ble Tribunal had directed the District Magistrate Haridwar to file an affidavit within four weeks.
3. THAT the stipulated time as granted by the Hon'ble Court expired on 19.09.2024
4. THAT the delay has been caused owing to the fact that after the transfer of the former D.M. on 04 September, 2024. I took Charge on 05 September, 2024 and a Meeting was held on 11 September, 2024 regarding the case in question. In the Meeting, a Committee was formed to conduct a field Inspection/Survey of the Encroachments/Constructions falling within the 100-years flood frequency line of the flood plain zone and to mark them. The Committee took more time to conduct a field Inspection of 16 Villages falling within the 100-years flood frequency line of the flood plain zone and to mark the Encroachments/Constructions. The main reason for this was that in the meantime many fairs and festivals were also organized in Haridwar District. The members of the committee also performed their departmental work along with these fairs/festivals. So, the Committee took more time in field Inspection/Survey and marking the Encroachments/Construction. The counter affidavit could not be filed on




 जिलाधिकारी
 हरिद्वार

time due to the time taken by the Committee in on-site inspection of the Encroachments/Constructions.

5. THAT there has been a delay of 74 days in filing the affidavit as directed by the Hon'ble Court vide order dated 22.08.2024
6. THAT the delay caused is neither intentional nor deliberate.
7. THAT this Application is filed in bonafide and in the interest of justice.

PRAYER

In view of the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to

- (a) Pass an order condoning the delay of 74 days in filing the affidavit as directed vide order dated 22.08.2024.
- (b) Pass an order taking the affidavit on record
- (c) Pass any other order(s) this Hon'ble Tribunal deems fit and proper in the interest of justice

THROUGH

Respondent No. 12
जिलाधिकारी
हरिद्वार

Anjali Rajput

(Panel Advocate, State of Uttarakhand)

Mob: +91-9811777368

Email: advanjali.rajput@gmail.com



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

O.A. NO. 102/2023

IN THE MATTER OF

Neeraj Chhachhar & Anr

..... Applicants

VERSUS

State of Uttarakhand & Ors

.... Respondents

*SMo-681
02/12/2024*

AFFIDAVIT

I KARMENDRA SINGH S/O VIJAY BAHADUR SINGH, aged About 53 years, presently working as District Magistrate, Haridwar, do hereby solemnly affirm and declare as under

1. THAT I am competent to swear this affidavit in my official capacity.
2. THAT the contents of the accompanying affidavit are borne out from the official record and the same are true and correct.



VERIFICATION

Verified at HARDWAR on this 02 day on December 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

HARIDWAR

(Signature)
DEPONENT
जिलाधिकारी
हरिद्वार

(Signature)
DEPONENT
जिलाधिकारी
हरिद्वार

ATTESTED
(Signature)
02/12/2024
SURENDRA KUMAR
NOTARY, ADVOCATE
DISTT. COURT, HARDWAR

IDENTIFIED BY
Neeraj

कार्यालय आदेश

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024, जिसके बिन्दु संख्या-3 से 6 में उल्लेख किया गया है कि:-

3. Counsel for the State does not dispute that the said exercise was done in terms of the provisions of Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 and it was not done in accordance with the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. He has not disputed that Ganga Rejuvenation Order 2016 will prevail upon the State enactment of 2012.

4. During the course of hearing, Counsel or the District Magistrate, Haridwar present virtually could not disclose as to what methodology was adopted for demarking the flood plain zone taking into account the highest flood level of 100 years even as per the State enactment and the contour interval which was taken into account for that purpose.

5. Affidavit of the District Magistrate or the report of the Haridwar Roorkee Development Authority do not disclose as to what action has been taken till now for demarcation of flood plain in terms of the Rejuvenation Order of 2016. At this stage, it is worth noting that the District Magistrate is head of the District Committee under the Order of 2016 and he is required to ensure compliance of provisions of the said order.

6. Hence, we require the **District Magistrate, Haridwar to file a fresh report by way of affidavit disclosing the action taken in terms of 2016 Order and also answering the observations made above. In the report, District Magistrate, Haridwar will also disclose the action which has been taken for removal of the encroachment from the flood plain area. Let the same be filed within four weeks.**

प्रश्नगत प्रकरण में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2024 को अपरान्ह 04:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक ली गयी, जिसमें National Institute Of Hydrology, Jal Vigyan Bhawan, Roorkee के प्रतिनिधि, प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार/सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार/मुख्य अभियन्ता स्तर-2 सिंचाई विभाग विश्व बैंक कॉलोनी सिंहद्वार हरिद्वार/नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार/अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार/रूडकी (उत्तर प्रदेश)/अधिशाली अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद, हरिद्वार/अधिशाली अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी/क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी एवं तहसीलदार हरिद्वार द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में लिए गए निर्णयानुसार उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में फ्लड प्लेन जोनिंग के अन्तर्गत 25 वर्ष की आवृत्ति रेखा एवं 25 वर्ष से 100 वर्ष तक की आवृत्ति रेखा के अन्दर आने वाले अतिक्रमण एवं अन्य निर्माणों की पृथक-पृथक सूची तथा वर्ष 2016 से पूर्व एवं 2016 के पश्चात के अतिक्रमण एवं अन्य निर्माणों की अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी। जिसके लिए निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है। यथा:-

- | | |
|---|---------------|
| 1-सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार। | - अध्यक्ष |
| 2-प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार के प्रतिनिधि- | |
| उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार/लक्सर | - सदस्य |
| 3-नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार। | - सदस्य |
| 4-उप जिलाधिकारी, हरिद्वार/लक्सर। | - सदस्य |
| 5-अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार | - नोडल एजेंसी |

अतः उक्त कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिक्रमण एवं अन्य निर्माणों का चिन्हांकन कर Action Taken Report तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रकरण महत्वपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम नहीं है।



कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या-102/2023/एल0बी0ए0/2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- | | |
|--|--|
| 1- Director, National Institute Of Hydrology, Jal Vigyan Bhawan, Roorkee. | |
| 2- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार। | |
| 3- सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार। | |
| 4- नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार। | |
| 5- उप जिलाधिकारी, हरिद्वार/लक्सर। | |
| 6- अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। | |
| 7- अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद, हरिद्वार। | |
| 8- अधिशाली अभियन्ता, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी। | |

(कर्मन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

दिनांक: 17 सितम्बर, 2024

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

जिलाधिकारी
हरिद्वार

नीरज आचार्य

बैठक की उपस्थिति

विषय:—माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के अनुपालन के संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2024 को अपराह्न 04:00 बजे आहूत बैठक के संबंध में।

दिनांक:—11.09.2024

समय:—04:00

क्र0सं0	नाम	पदनाम	व्हाट्सएप्प नंबर	हस्ताक्षर
1	कमलेंद्र सिंह	D.M.	8218070970	
2	Vaibhav K. Singh	D. F. O	9412839149	
3	U.S. Chauhan	Sec. HRDA	9837057417	
4	V.K. Mangru	S.E Irrigation	9412380095	
5	MANJU	EE Irrigation Hdr.	9412055867	
6	Priyanka Devi	Tahildar Hdr	7810695037	
7	Ajayvur Singh	SDM (H)	9634228827	
8	Munesh Kumar	DRO H.D. Roorkee	9927607007	
9	Dr. Ajeet Singh	ASB, URPIB	9411178364	
10	Amarjeet Sah.	Assistant Engr	9450979700	
11	R. C. Gupta	SE (Irrigation)	9412354675	
12	J. S. Jayast	EE (Irrigation)	7895769049	
13	Dr. A.K. Lohani	Scientist G NIH Roorkee	8279915372	
14	Dr. L.N. Thakur	SC-E NIH Roorkee	941482020	
	DR. YRS RAO	SC Scientist G NCH, Roorkee	9470499694	
	Dr. Pabra	Scientist-E, NIH	9870784572	



जिलाधिकारी
हरिद्वार

आदेश

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के बिन्दु संख्या-3 से 6 में उल्लेख किया गया है कि:-

3. Counsel for the State does not dispute that the said exercise was done in terms of the provisions of Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 and it was not done in accordance with the provisions of River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016. He has not disputed that Ganga Rejuvenation Order 2016 will prevail upon the State enactment of 2012.

4. During the course of hearing, Counsel or the District Magistrate, Haridwar present virtually could not disclose as to what methodology was adopted for demarking the flood plain zone taking into account the highest flood level of 100 years even as per the State enactment and the contour interval which was taken into account for that purpose.

5. Affidavit of the District Magistrate or the report of the Haridwar Roorkee Development Authority do not disclose as to what action has been taken till now for demarcation of flood plain in terms of the Rejuvenation Order of 2016. At this stage, it is worth noting that the District Magistrate is head of the District Committee under the Order of 2016 and he is required to ensure compliance of provisions of the said order.

6. Hence, we require the **District Magistrate, Haridwar to file a fresh report by way of affidavit disclosing the action taken in terms of 2016 Order and also answering the observations made above. In the report, District Magistrate, Haridwar will also disclose the action which has been taken for removal of the encroachment from the flood plain area. Let the same be filed within four weeks.**

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कलेक्ट्रेट, सभागार, रोशनाबाद हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण बैठक ली गयी। जिसमें National Institute Of Hydrology, Jal Vigyan Bhawan, Roorkee के प्रतिनिधि, सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 सिंचाई विभाग विश्व बैंक कॉलोनी सिंहद्वार हरिद्वार, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार/रूडकी (उत्तर प्रदेश), अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद, हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी एवं तहसीलदार हरिद्वार द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुपालन में अतिक्रमण का चिन्हांकन 10 दिनों के अन्दर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार की अध्यक्षता में किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा सुझाये गये नामों के आधार पर चिन्हांकन हेतु निम्नवत् टीमों का गठन किया जाता है:-

टीम-1

- 1-तहसीलदार हरिद्वार द्वारा नामित राजस्व उप निरीक्षक।
- 2-श्री देवदत्त, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

टीम-2

- 1-तहसीलदार हरिद्वार द्वारा नामित राजस्व उप निरीक्षक।
- 2-श्री आशीष सेनी, अपर सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

टीम-3


- 1-तहसीलदार हरिद्वार द्वारा नामित राजस्व उप निरीक्षक।
- 2-श्री उमेश धीमान, अपर सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

टीम-4

- 1-तहसीलदार हरिद्वार द्वारा नामित राजस्व उप निरीक्षक।
- 2- श्री परस राम स्मगर जिलेदार, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।



अतः उपरोक्त टीम द्वारा अपनी आख्या 10 दिवस के भीतर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार को प्रस्तुत करेगी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा चिन्हीकरण संबंधी आख्या का परीक्षण कराते हुए अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगें, चिन्हीकरण प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, नगर निगम हरिद्वार एवं उप जिलाधिकारी, हरिद्वार से भी आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त कर सकते है।


(प्रतीक जैन)
प्रभारी जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

पत्रांक: 715 / एल0बी0ए0-2024


दिनांक: 02 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- Director, National Institute Of Hydrology, Jal Vigyan Bhawan, Roorkee.
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार।
- 3- नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
- 4- सचिव, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 5- मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई विभाग, विश्व बैंक कॉलोनी सिंहद्वार, हरिद्वार।
- 6- नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
- 7- उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 10- तहसीलदार, हरिद्वार।
- 11- श्री देवदत्त, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
- 12- श्री आशीष सैनी, अपर सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
- 13- श्री उमेश धीमान, अपर सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।
- 14- श्री परस राम सागर जिलेदार, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।


प्रभारी जिलाधिकारी,
हरिद्वार।


जिलाधिकारी
हरिद्वार



बैठक की उपस्थिति

विषय:—माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के अनुपालन के संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आहूत बैठक के संबंध में।

दिनांक:—31.08.2024


समय:—11:00

क्र0सं0	नाम	पदनाम	व्हाट्सएप्प नंबर	हस्ताक्षर
1	धीराज सिंह गार्ग्यल	D.M.	9411185555	
2	पी. एल. शर्मा	ADM-E	9458356180	
3	U.S. Chauhan	Sec. HRDA	9837057417	
4	Dr A.K. Lonani	Scientist C NIH, Roorkee	8279915372	
5	Dr. Y.R.S. RAO	SC of NIH, Roorkee	9490699694	
6	Dr. L. W. Thakur	SC-E	941152020	
7	J. P. Patan	SE NIH Roorkee	9870784572	
8	Kushm Chauhan	City Magistrate	8755176343	
9	प्रियंका रानी	तस्सीतदार	7310695037	
10	Dr. Ajjeet Singh	ASO, DKRD	9411178364	
11	MANJU	Executive Engineer Irrigation	9411055868	
12	Devdutt Kumar	A.E. I. D. Roorkee	9412905189	
13	P. L. Nauriyal	E.TE I.P. Roorkee	9412997457	
14	J. S. Jayaram	EE. Hydraulics Division, B.Bad	9412992363	
15	R. C. Gupta	SE Hydraulics B. Bad	9412354673	
16	A. K. Nimish	A.E. MPDC Roorkee	9568294797	
17	Munish Kumar	DRO MBDC Roorkee	9927607007	
18	Amarjeet Sah		9450979700	

प्रभार प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01, देहरादून के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश संख्या:- 859/XXX-1-2024, दिनांक:- 04 सितम्बर, 2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार का पदभार जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक:- 05 सितम्बर, 2024 की अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

मुक्त अधिकारी


(धीराज सिंह गर्ब्याल)

मोचक अधिकारी


(कर्मन्द्र सिंह)


कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार

पत्रांक:- 461 /राजस्व सहायक/2024-25,,

दिनांक:- 05 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, माननीय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- प्रमुख सचिव, मा10 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 7- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 8- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 10- वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 11- मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 12- प्रभारी अधिकारी (देयक/राजस्व) एवं देयक सहायक/राजस्व सहायक कलेक्ट्रेट, हरिद्वार।
- 13- संबंधित अधिकारी।


अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),




जिलाधिकारी
67 हरिद्वार

कर्मन्द् सिंह,
अपर सचिव



उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01
अर्द्ध0शा0प0सं0: 831 / XXX-1-2024
देहरादून: दिनांक 04 सितम्बर, 2024

आदरणीय महोदय,

शासन द्वारा कार्यहित में आपको जिलाधिकारी हरिद्वार के पदभार से अवमुक्त करते हुए अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग तथा अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग का पदभार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- कृपया नवीन पदभार ग्रहण करते हुये तद्विषयक आख्या कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कर्मन्द् सिंह)

श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, IAS-2009
जिलाधिकारी, हरिद्वार

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. महानिदेशक, सूचना।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
9. इरला चैक अनुभाग/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-3/मीडिया सेन्टर को सूचनार्थ प्रेषित।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत/अधिष्ठान पत्रावली।

गार्ड फाईल।



(कर्मन्द् सिंह)

जिलाधिकारी
68 हरिद्वार

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01
अर्द्धशा0प0सं0: 859 /XXX-1-2024
देहरादून: दिनांक 04 सितम्बर, 2024

शासन द्वारा कार्यहित में आपको वर्तमान समस्त पदभारों से अवमुक्त करते हुये 'जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार' के पद पर तैनात किया जाता है।

2- कृपया नवीन पदभार ग्रहण करते हुये तदविषयक आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)

श्री कर्मेन्द्र सिंह, IAS-2011

अपर सचिव-कार्मिक एवं सतर्कता, पेयजल विभाग,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PMGSY।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. महानिदेशक, सूचना।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
9. इरला चैक अनुभाग/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-3/मीडिया सेन्टर को सूचनार्थ प्रेषित।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत/अधिष्ठान पत्रावली।
11. गार्ड फाईल।



(आनन्द बर्द्धन)

जिलाधिकारी
हरिद्वार

बैठक की उपस्थिति




विषय:- मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में योजित मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के अनुपालन के संबंध में आहूत समीक्षा बैठक।

दिनांक:-23.11.2024

समय:-02:00

क्र0सं0	नाम	पदनाम	व्हाट्सएप नंबर	हस्ताक्षर
1	कमंडर सिंह	DM.	8218070970	
2	उत्तराखण्ड न्यायाधीश	सचिव H RDA	9837057417	
3	गंजु	जांचाधीशी आयोगवाली सिंचाई	9412055967	
4	जय वृं सिंह	EE Hyd. Bokhadra	9412992363	
5	देवदत्त कुमार	सहायक इंजीनियर सिंचाई मण्डल इंजीनियर	9412903189	
6	मधुकर जैन	नायब तहसीलदार लखनौ	9410193098	
7	D.A.K. LOHANI	Scientist G NIH, Rohtak	8279915372	
8	Subhash Gehmini	RSI	9837436520	
9	सतीश कुमार	रजि. कानूनगो	9458352257	
10	अरुणी कश्यप	अधीक्षक	9037083570	
11	Y.S. Tomer	A.A.E Irrigation	9760879919	
12	आशीष कुमार सेनी	A.A.E Irrigation	8077932872	
13	मौं सुबैर	राजस्व उपनिरीक्षक आलावाली (लखनौ)	8430073002	
14	Santveer	अधीक्षक सहाय अधीक्षक	9627405092	
15	परस राम सागर	जिलेदार	905816758	
16	सुन्दरी देवी कौर	राजस्व उपनिरीक्षक	8993036687	
17	लालित मोहन	कॉर्पोरेट लेखापाल	8193972005	
	जसपाल	शां 30 नि	9045981735	



क्र०सं०	नाम	पदनाम	व्हाट्सएप्प नंबर	हस्ताक्षर
19	वृजेश कुमार	2103090	9719502022	 23-11-2024
20	अमरजीत साह	सं.गं. Isongahar	9450979700	
21	Sandeepa Sharma	A.C.F, forest	9368913663	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				

जिलाधिकारी
हरिद्वार

